REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB-REGISTRAR, CHITORGARH
CHITORGARH
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 1960 Dated : 04/09/2003
Presenter Name : BHANWAR LAL GADIYA (PRESDENT) Face Value : 2016000
Presenter Address : 142-SHASTRI NAGAR, CHITTORGARH
Document Type : Lease Deed more than 20 Years
Claimant Name : BHANWAR LAL GADIYA (PRESDENT), 142-SHASTRI NAGAR, CHITTORGARH / MEWAR ED
Document S.No. : 2003001923 Stamp Value : 148000

Ordinary Registration Fee	: 20160	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 73760
Translation Fee us/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		
		TOTAL	: 94120

Amount Rs. Ninty Four Thousand One Hundred Twenty only

Cashier

Sub Registrar उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

परिशिष्ट क्रमांक - 6

(17) (21)

(22) (18)

नगर पालिका बोर्ड चित्तौड़गढ (रा.ज.)

क्रमांक / भूमि वि. / लीज डीड / 37 / 2003–04 दिनांक : 3

शाश्वत लीज

(राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अंतर्गत)

यह करार एक पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "पट्टाकर्ता" कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ, अध्यक्ष भंवरलाल गदिया, जिसे इसमें आगे "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच आज तारीख 3 सितम्बर 2003 को किया गया।

अतः पट्टेदार के पट्टेकर्ता को, इसमें आगे वर्णित भूखण्ड, जो कि पट्टाकर्ता का है। का पट्टा देने के लिए आवेदन किया है और पट्टाकर्ता ने पटटेदार द्वारा किये गये कथनों और अभिव्यक्तियों का विश्वास करते हुए उक्त स्वीकार कर लिया है और इसमें आगे बताई गई रीति में पट्टेदार को उक्त भूखण्ड का पट्टान्तरण करने को सहमत हो गया है।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि इस विलेख के निष्पादन से पूर्व प्रीमियम के लिए संदत्त रूपये 1344000/– (अक्षरे तेरह लाख चमालीस हजार रूपये) के जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा अस्वीकार करता है, और इसमें आगे आरक्षित किराये और इसमें आगे दी हुई पट्टेदार की ओर से की गई प्रसंविदाओं के प्रतिफल स्वरूप पट्टाकर्ता पट्टेदार को इसके द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड पट्टान्तरित करता है जो गांधीनगर सेक्टर 5 के पास के ले आउट नक्शे में है और जिसकी महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र ब्लॉक संख्या सेक्टर 5 के पास है, जिसका क्षेत्रफल (280 फीट X 200 फीट = 56000 वर्गफीट है । इस महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के लिये भूखण्ड का विस्तृत वर्णन नीचे लिखी अनुसूची में लिया गया है अधिक स्पष्टता के लिये उसकी सीमायें इस विलेख से संलग्न नक्शे में लाल रंग में दर्शायी गई है और उसमें लाल रंग भरा है (जिसे इसमें आगे महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड कहा गया है) पट्टाकर्ता उसके सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित, जो उक्त महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड के परिसर के कब्जे से सम्बन्धित हो, तारीख 3 सितम्बर 2003 से सदा के लिये पट्टेदार को पट्टान्तरित करता है। [illegible] 99 वर्ष तक वार्षिक भूमि किराये के (प्रथम तीन वर्ष तक 168000/– प्रतिवर्ष एवं तीन वर्ष पश्चात् 336000/– प्रतिवर्ष मात्र) जो अग्रिम रूप में संदेय होगा का संदाय करेगा और उसके पश्चात प्रीमियम (पहले की संदत्त राशि और इसमें अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं और शर्तों के अधीन प्रीमियम की ओर संदय हो ऐसी अन्य राशि या राशियां) के ढाई प्रतिशत की दर पर या ऐसे बढे अन्य हुए भूमि किराये का जो इसमें आगे अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं और शर्तों के अधीन इसके पश्चात निर्धारित किया जाये, प्रतिवर्ष पन्द्रह जनवरी और पन्द्रह जुलाई को समान अर्द्धवार्षिक और किश्तों में ऐसे स्थान पर जो पट्टेकर्ता द्वारा समय–समय पर प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया जाये, संदाय करेगा। ऐसा प्रथम संदाय माह मार्च की पन्द्रह तारीख को किया जायेगा। इस और इस लीज के प्रारम्भ की तारीख से अन्तिम वर्णित तारीख तक के किराये की रकम रूपये (रूपये आवंटन तिथी से लीजमनी बकाया मात्र) का संदाय इस विलेख के निष्पादन से पूर्व किया जा चुका है।

उपाबंध

ये इसमें आगे अन्तर्विष्ट अपवादों आरक्षणों प्रसंविदाओं और शर्तों जो निम्न प्रकार है के अधीन होगा –

पट्टाकर्ता महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड में या उसके नीचे की समस्त खानों, खनिज, कोयलों गोल्ड वार्निश, भू तेल खदानों और सदैव ऐसे समस्त कार्य और चीजें जो इनकी तलाशी करने, इसके लिये कार्य करने इन्हें प्राप्त करने हटाने और इसका उपभोग करने का प्रयोजनार्थ आवश्यक और समीचनी हो महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड की सतह या उस पर तत्समय बने किसी भवन के लिये कोई उच्च सहारा दिये बिना छोडे बिना करने के समस्त अधिकार और

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष

...2

(19) (23)

शक्तियां स्वयं के लिए छोडता है और आरक्षित रखता है परन्तु पट्टाकर्ता इसके द्वारा आरक्षित या इनमें किसी अधिकार का प्रयोग करने के समस्त सीधे नुकसान के लिये पट्टेदार को उचित प्रतिकर देगा।

पट्टेदार स्वयं अपने वारिसों निष्पादकों प्रशासकों और समनुदेशितियों के लिये पट्टेकर्ता से निम्नलिखित रीति में प्रसंविदायें करता है अर्थात :

1. पट्टेदार ऐसे समय के भीतर और ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियां का भुगतान करेगा जो भूमि राज्य सरकार द्वारा अविनिर्णित ऐसे प्रतिकर जो निर्देश पर या अपील में या दोनों में बढा दिया गया हो पट्टाकर्ता द्वारा निश्चित किया जाए और निर्मित पट्टाकर्ता का विनिश्चय और अन्तिम और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा इसके द्वारा आरक्षित प्रीमियम के ढाई प्रतिशत के वार्षिक किराये की संगणना इस विलेख के निष्पादन से पूर्व पट्टाकर्ता द्वारा प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि पर और प्रीमियम के रूप में संदेय ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियों पर जिसका कि इसमें उपलब्ध किया गया है, तारीख 3 सितम्बर 2003–04 से की जायेगी ।
2. पट्टेदार पट्टाकर्ता को इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराये का संदाय इसमें पहले नियत दिवसों पर और उसी रीति से करेगा।
3. पट्टेदार स्वयं के खर्चे से आवश्यक डिजाईनों, नक्शों और विनिर्दिष्टियों सहित भवन के नक्शों की मंजूरी नगरपालिका या अन्य प्राधिकरण से प्राप्त करने की तारीख 3.9.2003 से दो वर्षों की कालावधि के भीतर और इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय संविदा का मर्म होगा, महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड पर परिनिर्माण करेगा और भवन के मंजूर नक्शों के अनुसार और आवश्यक और समुचित दीवारों, मलनालियों तथा उक्त नगरपालिका या अन्य प्राधिकरण के समाधान हेतु सुविधाओं सहित महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए प्रर्याप्त और कार्यकर जैसी रीति से अन्य एक महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रभवन तैयार करेगा।
4. (क) पट्टेदार, पट्टाकर्ता की लिखित सहमति, जिसके लिये वह पूर्ण स्वविवेकानुसार इन्कार करने का हकदार होगा, के सिवाय महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड को कब्जे का पूर्णतः या अंशतः विक्रय अन्तरण या समनुदेशन नहीं करेगा या अन्यथा अलग नही करेगा।

परन्तु उक्त सहमति इस लिज के प्रारम्भ से दस वर्षों की कलावधि तक नही दी जायेगी जब तक कि पट्टाकर्ता के राय में उक्त सहमति दिये जाने के लिये असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान हो :–

परन्तु यह और कि सहमति की दशा में पट्टाकर्ता ऐसे निबंधन और शर्त अधिरोपित कर सकेगा जो वह उचित समझे और पट्टाकर्ता विक्रय, अन्तरण अमनुदेशन का कब्जा अलग करने के समय महिला महाविद्यालय एव औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड के मुल्य (अर्थात संदत्त प्रीमियम और बाजार मुल्य के बीच का अन्तर) में अनार्जित वृद्धि के एक भाग का दावा करने और वसूल करने का हक होगा। वसूली योग्य रकम अनार्जित वृद्धि की 50 प्रतिशत होगी और बाजार मूल्य के संबंध में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

परन्तु यह और कि पट्टाकर्ता को उपयुक्त के अनुसार अनर्जित वृद्धि के पचास प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात सम्पति को क्रय करने का अग्रक्रयाधिकार होगा।

(ख) ऊपर उपखण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पट्टेदार राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हे इस में आगे "राज्यपाल कहा गया है) की लिखित में पूर्व सहमति से महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड ऐसे व्यक्ति को, जिसका राज्यपाल पूर्ण स्वविवेकानुसार अनुमोदन करे बन्धक या भारित सम्पति के विक्रय या पुरोबन्ध की दशा में पट्टेकर्ता उपयुक्त के अनुसार महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड के मुल्य में अनर्जित वृद्धि के पचास (50) प्रतिशत का दावा करने और वसूल करने का हकदार होगा और उक्त अनर्जित वृद्धि के पट्टेकर्ता के अंश की रकम, उक्त रकम या भार पर पूर्विक्ता के कारण प्रथम भार होगी। उक्त महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड के बाजार मूल्य के संबंध में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम होगा और संबंधित पक्षकारी पर बाध्यकारी होगा।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

अधिशाषी अधिकारी
न. पा. चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ ...3..

परन्तु यह और कि पट्टाकर्ता को उपर्युक्त के अनर्जित वृद्वि के पचास प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात वधित या भारित सम्पति को क्रय करने का अग्रक्रयाधिकार होगा।

5. पट्टाकर्ता का अनर्जित वृद्वि के पचास प्रतिशत की वसूली का अधिकार और इसमें पहले यथावर्णित सम्पति का अग्रक्रयाधिकार अस्वैच्छिक विक्रय या अन्तरण जो चाहे किसी कार्यपाल या दिवानी का न्यायालय द्वारा या उसके माध्यम से हो, पर समान रूप में लागू होगा।

6. ऊपर उप–खण्ड (4) (क) में यथावर्णित निबंन्धनों, परिसीमाओं और शर्तो के होते हुए भी पट्टेदार उस भवन को जो प्राईवेट निवास पर प्रयोजनार्थ महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड परिनिर्मित किया गया हो, पूरा या उसके किसी भाग को किराये पर नही दिया जा सकता है।

जब कभी भी महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड में पट्टेदार का स्वत्व किसी भी रीति से अन्तरित हो जाये अन्तिरिती इसमे अर्न्तविष्टि समस्त प्रसंविदाओं और शर्तो में आबद्व करेगा और इसके लिये हर प्रकार से उत्तरदायी होगा।

8. जब कभी भी महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र इस भूखण्ड मे पट्टेदार का स्वत्व किसी भी रीति में आन्ति हो जाये, अन्तरिसी अन्तरण के तीन मास के भीतर पट्टेकर्ता को इस अन्तरण की लिखित सूचना देना। यह भूखण्ड हस्तारणीय है।

अन्तरिती यह व्यक्ति जिसे स्वत्व न्यागत हो तथा स्थिति, पट्टाकर्ता को अन्तरण या न्यागमन का साक्ष्य देनेवाले दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियाँ देना।

पट्टेदार समय–समय पर और ऐसी समन्तरों, करों, प्रभारो और हर प्रकार के निर्धारणों का संदाय और उन्मोचन करेगा जो अभी या इसके पश्चात इस लीज के जारी रहने के दौरान किसी भी समय इसके द्वारा पट्टान्तरति महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड पर या उस पर परिनिर्मित किसी भी भवन या इससे संबंधित किसी भू स्वामी पर निर्धारित, प्रभावित या अधिरोपित किया जाये।

10 इसके द्वारा पट्टान्तरित महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड के संबंध में देय किराये और अन्य सदाय के बकाया उसी रीति से जिससे भू राजस्व बकाया वसूल किया जाता है वसलीय होगे।

11 पट्टेदार समुचित नगरपालिका या तत्समय प्रवृत अन्य प्राधिकरण के भवन नाली और अन्य उप–नियमों को सभी तरह से अनुपालन करेगा और उसमे आबद्व होगा।

12 पट्टेदार समुचित नगरपालिका या अन्य प्राधिकरण की लिखित मन्जुरी या अनुज्ञा के बिना महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड पर कोई भवन परिनिर्मित नहीं करेगा या ऐसे भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा।

13. पट्टेदार पट्टाकर्ता को लिखित सहमति के बिना महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड पर या उसपर के किसी भी भवन में कोई व्यापार या कारोबार जो कुछ भी हो, नहीं करेगा या किये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा या प्राईवेट शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं करेगा या उपयोग किये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा या उसमें कोई ऐसा कार्य जो कुछ भी हो नहीं करेगा या करने नहीं देगा जिसमें पट्टाकर्ता की राय में पट्टाकर्ता और पड़ौस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए न्युसेन्स क्षोभ या विघ्न हो।

परन्तु यदि पट्टेदार उक्त महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड या उस पर के भवन का उपयोग महाविद्यालय से भिन्न प्रयोजनार्थ करने का इच्छुक हो पट्टाकर्ता अतिरिक्त प्रीमियम या अतिरिक्त किराये के संदाय सहित ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो पट्टाकर्ता पूर्ण स्वविवेकानुसार अवधारित करें उपयोग के ऐसे परिवर्तन को अनुपात कर सकता है।

14. पट्टेदार सभी उपयुक्त अवसरों पर राज्यपाल को यह समाधान करने के लिए महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के भूखण्ड पर प्रवेश करने देगा कि इसमें वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों का अनुपालन किया गया है और किया जा रहा है।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

अधिशाषी अधिकारी, न. पा. चित्तौड़गढ़ — अध्यक्ष, नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

15. पट्टेदार इस लीज के पर्यवसान पर उक्त महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड पर उस पर बने भवनों को शांतिपूर्वक पट्टाकर्ता के लिए छोड़ देगा।

यदि इसमें पहले यथावर्णित प्रीमियम या इसके द्वारा आरक्षित किराया या उसका कोई भाग उक्त तारीख जब यह देय हो गया, पश्चात् एक कलेण्डर 6 मास तक किसी समय बकाया और असदत्त रहता है चाहे, उसकी मांग की गई हो या नहीं या यदि यह पता चल जाय की लीज कोई भी तथ्य छुपाकर या किसी अशुद्ध कथन दुर्व्यपदेन या कपट से प्राप्त की गई या पट्टाकर्ता जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा, की राय है कि पट्टेदार ने या उसके माध्यम से या उससे व्युत्पन्न अधिकारी के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने इसमें अन्तर्विष्ट और उसके द्वारा अनुपालना की जाने वाली प्रसंविदाओं और शर्तों में किसी को भंग किया है तो उस दशा में, इस बात के होते हुए भी इसके द्वारा पट्टान्तिरत महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड और उस पर बने भवनों में पुनः प्रवेश के किसी पूर्व हेतुक या अधिकार का अधित्यजन कर दिया है, पट्टकर्ता के लिए यह अधिपूर्ण होगा कि यह महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड पर पुनः प्रवेश करे और उस पर बने भवनों और फिक्चरों का कब्जा ले और तब यह लीज और इसमें अन्तर्विष्ट प्रत्येक बात समाप्त और पर्यवसित हो जायेगी और पट्टेदार को किसी भी प्रतिकार के लिए या उस प्रीमियम के जिसका उसने संदाय किया है लौटाए जाने के लिए हकदार नहीं होगी।

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी पट्टाकर्ता अपने पुनः प्रवेश के उपयुक्त अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और पूर्ण स्वविवेकानुसार, ऐसी रकम प्राप्त होने पर और ऐसे निर्बंधनों और शर्तो पर, जो उसके द्वारा निश्चित हो जाये, भाग अस्थायी रूप से अन्यथा अधित्यजन या आकर्षण कर सकता है और किराये का जो उपयुक्त रूप से बकाया होगा, 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित संदाय स्वीकार कर सकता है।

कोई भी जब्ती या पुनः प्रवेश की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक कि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर लिखित रूप से ऐसी सूचना कोई तामिल न कर दी हो जिसमें :–

(क) उस भंग का उल्लेख हो जिसके बारे में शिकायत की गई हो और

(ख) यदि भंग उपचार योग्य है तो पट्टेदार से उस भंग का उपचार करने की उपेक्षा की हो,

और पट्टेदार सूचना में यथावर्णित उचित समय के भीतर उस भंग का यदि यह उपचार के योग्य है, तो उपचार करने में असफल हुआ हो, और जब्ती या पुनः प्रवेश की दशा में पट्टाकर्ता स्वविवेकानुसार ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो वह उचित समझे उस जब्ती के विरूद्ध राहत दे सकेगा।

इस खण्ड की कोई बात जब्ती या पुनः प्रवेश पर निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगी :–

(क) उपविभाजन या सम्मेलन, उपबंधित समय के भीतर भवन के परिनिर्माण और पूर्ण करने और महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड के अन्तरण, जैसा कि खण्ड 11 में उल्लेख है, से सम्बन्धित प्रसंविदाओं और शर्तो के भंग के लिए या

(ख) उस दशा में, जब लीज किसी तथ्य को छुपाने अशुद्ध कथन, दुर्व्यपदेशन या कपट से प्राप्त की गई हो।

इसके द्वारा आरक्षित किराये में 1 जनवरी 2004 से और उसके पश्चात् 15 वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती कालावधि के अंत में बढ़ाया जायेगा। परन्तु नियत किराये में वृद्धि प्रत्येक वृद्धि पर हर बार संदेय वार्षिक किराये के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इस विलेखों के अधीन या उनके सम्बन्ध में (सिवाय ऐसे मामलों के जिनके विनिश्चय का इन विलेखों द्वारा विनिर्दिष्ट उपलबंध किया गया है) कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद उत्पन्न होने की दशा में उसे राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकल माध्यमस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा। यह अपेक्षा नहीं होगा

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

अधिशाषी अधिकारी, न. पा. चित्तौड़गढ़ — अध्यक्ष, नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

5

कि मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है और यह कि उसे उन मामलों पर विचार करना पड़ता है जिनसे लीज सम्बन्धित है या यह कि उसकी सरकारी कर्मचारी के रूप में ड्यूटी के दौरान वह विवादग्रस्त या मतभेद के समस्त या किन्हीं मामलों पर विचार व्यक्त कर चुका है मध्यस्थ का पंचाट अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा ।

मध्यस्थ, पक्षकारों की सहमति पर पंचाट करने और प्रकाशित करने की कालावधि, समय–समय पर बढ़ा सकता है । उपयुक्त के अध्यधीन मध्यस्थ अधिनियम, 1940 और उसके अधीन तत्समय प्रवृत्त नियम तथा उसके कोई उपान्तरण, इस खण्ड के अन्तर्गत माध्यस्थम् कार्यवाहियों पर लागू समझे जायेंगे ।

इस लीज के अधीन दिये जाने वाले समस्त नोटिस, आदेश निर्देश सम्मतियाँ या अनुमोदन लिखित रूप में होंगे और उन पर ऐसे अधिकारी द्वारा राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत किया जाये हस्ताक्षर किये जाएंगे और उन्हें पट्टेदार या आवासीय भूखण्ड पर किसी का दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर सम्यक रूप से तामील हुआ समझा जाएगा यदि वे महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड पर बने किसी या पर निर्माण चाहे अस्थाई या अन्यथा पर चिपका दिया जाएगा या पट्टेदार अथवा ऐसे व्यक्ति के तत्काली निवास स्थान, कार्यालय या कारोबार के स्थान पर सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास स्थान, कार्यालय कारोबार के स्थान पर परिदत्त कर दिया जाएगा या डाक द्वारा भेज दिया जाएगा ।

(क) इस लीज के अधीन पट्टकर्ता द्वारा प्रयोग में किये जाने योग्य समस्त शक्तियों का राज्यपाल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, पट्टाकर्ता उसे लीज के अधीन प्रयोग किये जाने वाले समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है ।

(ख) राज्यपाल उपर उपखण्ड (क) के आधार पर उसके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले पट्टाकर्ता की शक्तियों के सिवाय, ऐसा समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग जिनका इस लीज के प्रयोग करने के लिए वह सशक्त है का प्रयोग करने के लिये किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है ।

इस लीज में शब्द "राज्यपाल" से राजस्थान का राज्यपाल अभिप्रेत है । उक्त शब्दों में ऐसा अधिकारी जो इस लीज के अधीन राज्यपाल के कृत्यों का सम्पादन के लिए पट्टाकर्ता द्वारा पदाभिहित किया जाए भी सम्मिलित होगा ।

इसमें पूर्व में प्रयुक्त शब्दों 'पट्टाकर्ता' और पट्टेदार में जहां सदर्भ ऐसा स्वीकार हो, पट्टाकर्ता के नाम से में उनके उत्तराधिकारी और समनदेशिती तथा पट्टेदार के मामले में [illegible], निष्पादक या प्रशासक प्रतिनिधि या वह या वे व्यक्ति जिनमें इसके द्वारा सृजित लीज होल्ड हित तत्समय समनुदेश द्वारा अन्यथ निहित किया जायेगा, सम्मिलित होंगे ।

यह लीज गवनमेंट ग्रान्टस एक्ट 1895 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1895) के अधीन दी गई है ।

<u>शर्तें</u> –

1. यह भूखण्ड राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग के पत्र क्रमांक भूमि/एफ/क/डी.एल.बी./03/6974 दिनांक 29.8.03 की अनुपालना में वर्तमान की आरक्षित दर की आवासीय दर का 10 प्रतिशत से आंवटन किया जा रहा है ।
2. यह भूखण्ड अहस्तान्तरणीय है ।
3. इस भूखण्ड पर वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती है ।
4. यह भूखण्ड सिर्फ महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के लिये ही आंवटन किया जाता है ।
5. इस भूखण्ड का आंवटन किये जाने के पश्चात् 2 माह के अन्दर–अन्दर निर्माण कार्य चालू करना होगा एवं एक वर्ष के भीतर महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ करना होगा ।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

अधिशाषी अधिकारी
न. पा. चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

....6..

22 (26)

6

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखित तारीख को पट्टाकर्ता के लिए और उनकी ओर से तथा उसके आदेश और निर्देश से श्री अध्यक्ष महोदय ने और पट्टेदार श्री भंवरलाल गदिया, अध्यक्ष, मेवाड़ ऐज्युकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ़ ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए है ।

स्टाम्प	OODD (11)	OODD (12)	OODD (13)	OODD (14)	OODD (15)	OOCC (16)	(17)	(18)	(19)	
	076495	076496	076497	076498	076499	068435			*	148000/- रु. के
	25000	25000	25000	25000	25000	20000	1000	1000	1000	संलग्न है

अनुसूचि जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है

नगरपालिका बोर्ड चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा संकल्प 14 तारीख 2.9.2003 द्वारा मंजूर गांधीनगर, सेक्टर 5 के पास के ले आउट नक्शा में ब्लॉक संख्या सेक्टर 5 के पास 56000 वर्गफीट का सम्पूर्ण भूखण्ड है जिसकी साईज (280 फीट X 200 फीट = 56000 वर्गफीट है । उसकी सीमाये निम्न प्रकार है –

उत्तर – भूमि नगरपालिका पूर्व – सड़क 60 फीट चौड़ी

दक्षिण – सड़क 40 फीट चौड़ी पश्चिम – भूमि नगरपालिका

और यह संलग्न नक्शे पर दर्शाया गया है इसकी सीमाये लाल स्याही से अंकित की गई है ।

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति साथ में संलग्न है

क्रमांक 37 दिनांक 3/9/2003

राजस्थान के राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के तथा उनके आदेश और निर्देश से

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ (राज.)
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका चित्तौड़गढ़
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

1. श्री भंवरलाल गदिया, अध्यक्ष, हस्ताक्षर ....

1. गवाह श्री श्याम सुन्दर काबरा हस्ताक्षर
पुत्र श्री श्री मीठालालजी काबरा
पता 189/4 गांधी नगर, चित्तौड़गढ़
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये ।

2. गवाह श्री सुरेश कुमार शर्मा हस्ताक्षर
पुत्र श्री ओंकार लाल शर्मा
पता दुर्ग – चित्तौड़गढ़
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये ।

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ (राज.)
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका चित्तौड़गढ़
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

23 (27)

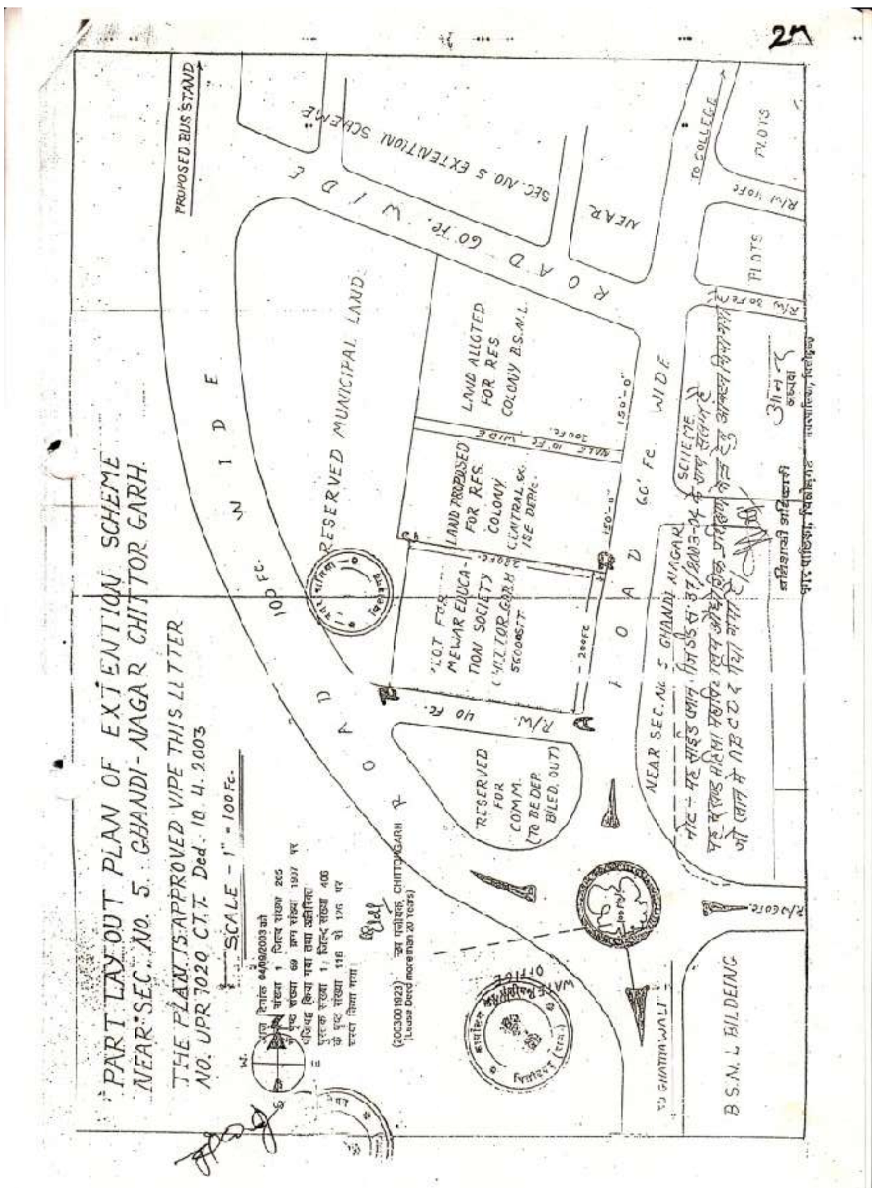

0000 076496

विक्रय मूल्य 1344000/–

लीजडीड सं. 37/03–04 दिनांक 3.9.2003

यह लीजडीड सं. 37/03–04 दिनांक 4.9.2003 से [illegible] मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष भंवरलाल गदिया को महिला महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 56000 वर्ग फीट भूमि विक्रय की गयी है। जिसकी लीजडीड निष्पादन के साथ संलग्न है।

दिनांक : 3.9.2003

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

रजिस्ट्री नं. 12 दिनांक 4.9.03

नाम व पता श्री भंवरलाल गदिया, अध्यक्ष मेवाड़ एज्युकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ़

आयु — वर्ष

व्यवसाय — निवास स्थान चित्तौड़गढ़

नगर कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ — अध्यक्ष

मेवाड़ एज्युकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

हस्ताक्षर फोटो

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-EXECUTIVE ENGINEER /NAGAR PALIKA
Age:0. Caste-
Ocu.-
R/O-CHITTORGARH

(And Claimant)
1-BHANWAR LAL GADIYA (PRESDENT) /HAJARI MAL
Age:60. Caste-GADIYA
Ocu.-RTD.
R/O-142-SHASTRI NAGAR, CHITTORGARH / MEWAR EDUCATION SOSACITY CHITTORGARH.

ने लेख्यपत्र Lease Deed more than 20 Years को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 2016000/– पूर्व में/मेरे समक्ष/मे रो रू0 2016000/–पूर्व मे ——— मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री SHYAM SUNDAR KABRA
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री MOHAN LAL उम्र 50 वर्ष
जाति KABRA व्यवसाय SERVICE

2. श्री / श्रीमती / सुश्री SURESH KUMAR
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ONKAR LAL उम्र 40 वर्ष
जाति SHARMA व्यवसाय SERVICE
निवासी DURG, CHITTORGARH ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एव अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये है।

(2003001923)
(Lease Deed more than 20 Years)

उप पंजीयक, CHITTORGARH

आज दिनांक 04/09/2003 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 205
मे पृष्ठ संख्या 69 क्रम संख्या 1907 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 406
के पृष्ठ संख्या 116 से 126 पर
चस्पा किया गया।

(2003001923) उप पंजीयक, CHITTORGARH
(Lease Deed more than 20 Years)

(30)
26

राजस्थान सरकार

00DD 076495

विक्रय मूल्य 1344000/–

लीजडीड सं. 37/03–04 दिनांक 3.9.2003

यह लीजडीड सं. 37/03–04 दिनांक 4.9.2003 के साथ संलग्न है यह लीजडीड मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष भंवरलाल गदिया को महिला महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 56000 वर्ग फीट भूमि विक्रय की गयी है। जिसकी लीजडीड निष्पादन के साथ संलग्न है।

दिनांक : 3.9.2003

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

आज दिनांक 4 माह September सन् 2003 को 13:51 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री BHANWAR LAL GADIYA (PRESDENT) पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री HAJARI MAL
उम्र 80 वर्ष, जाति GADIYA व्यवसाय RTD.
निवासी 142-SHASTRI NAGAR, CHITTORGARH
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता — हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHITTORGARH
(2003001923)
(Lease Deed more than 20 Years)

पंजीयन शुल्क रू० 20160 /-
प्रतिलिपि शुल्क रू० 200 /-
पृष्ठांकन शुल्क रू० 0 /-
अन्य शुल्क रू० 0 /-
कमी स्टाम्प शुल्क रू० 73700 /-
कुल योग रू० 94120 /-

(2003001923) उप पंजीयक, CHITTORGARH
(Lease Deed more than 20 Years)

राजस्थान सरकार

UUDD 076497

विक्रय मूल्य 1344000 /-

लीजडीड सं. 37 / 03-04 दिनांक 3.9.2003

यह लीजडीड सं. 37 / 03-04 दिनांक 4.9.2003 के साथ संलग्न है यह लीजडीड [illegible] एज्यूकेशन सारायटी, चितौड़गढ़ अध्यक्ष भंवरलाल गदिया को महिला महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 56000 वर्ग फीट भूमि विक्रय की गयी है। जिसको लीजडीड निष्पादन के साथ संलग्न है।

दिनांक : 3.9.2003

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका, चितौड़गढ़

0000 076498

विक्रय मूल्य 1344000 /–

लीजडीड सं. 37 / 03–04 दिनांक 3.9.2003

यह लीजडीड सं. 37 / 03–04 दिनांक 4.9.2003 के साथ संलग्न है यह लीजडीड मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष भंवरलाल गदिया को महिला महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 56000 वर्ग फीट भूमि विक्रय की गयी है । जिसकी लीजडीड निष्पादन के साथ संलग्न है ।

दिनांक : 3.9.2003

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

विक्रय मूल्य 1344000 /–

लीजडीड सं. 37 / 03– 04 दिनांक 3.9.2003

यह लीजडीड सं. 37 / 03–04 दिनांक [illegible] के साथ [illegible] यह लीजडीड मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष भंवरलाल गदिया को महिला महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 56000 वर्ग फीट भूमि विक्रय की गयी है । जिसकी लीजडीड निष्पादन के साथ संलग्न है ।

दिनांक : 3.9.2003

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

30

विक्रय मूल्य 1344000/-

लीजडीड सं. 37/03-04 दिनांक 3.9.2003

यह लीजडीड सं. 37/03-04 दिनांक 4.9.2003 के साथ संलग्न हैं यह लीजडीड मेवाड़ एज्यकेशन सोसायटी [illegible] महिला महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 56000. वर्ग फीट भूमि विक्रय की गयी है । जिसकी लीजडीड निष्पादन के साथ संलग्न है ।

दिनांक : 3.9.2003

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका चित्तौड़गढ़ नगर पालिका, चित्तौड़गढ़ | उप पंजीयक चित्तौड़गढ़ | अध्यक्ष नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

31

विक्रय मूल्य 1344000/-

लीजडीड सं. 37/03-04 दिनांक 3.9.2003

यह लीजडीड सं. 37/03-04 दिनांक 4.9.2003 के साथ संलग्न है यह लीजडीड मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष भंवरलाल भाटिया को महिला महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 56000 वर्ग फीट भूमि विक्रय की गयी है । जिसकी लीजडीड निष्पादन के साथ संलग्न है ।

दिनांक : 3.9.2003

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका चित्तौड़गढ़ नगर पालिका, चित्तौड़गढ़ | उप पंजीयक चित्तौड़गढ़ | अध्यक्ष नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

(36) 32

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

विक्रय मूल्य 1344000/-

लीजडीड सं. 37/03-04 दिनांक 3.9.2003

यह लीजडीड सं 37/03-04 दिनांक 4.9.2003 के साथ संलग्न है यह लीजडीड मेवाड़ [illegible] चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष भंवरलाल गादिया का महिला महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 56000 वर्ग फीट भूमि विक्रय की गयी है । जिसकी लीजडीड निष्पादन के साथ संलग्न है ।

दिनांक : 3.9.2003

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका चित्तौड़गढ़ नगर पालिका, चित्तौड़गढ़	उप पंजीयक चित्तौड़गढ़	अध्यक्ष नगरपालिका चित्तौड़गढ़

(37) 33

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

विक्रय मूल्य 1344000/-

लीजडीड सं. 37/03-04 दिनांक 3.9.2003

यह लीजडीड सं. 37/03-04 दिनांक 4.9.2003 के साथ संलग्न है यह लीजडीड मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष भंवरलाल गादिया को महिला महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 56000 वर्ग फीट भूमि विक्रय की गयी है । जिसकी लीजडीड निष्पादन के साथ संलग्न है ।

दिनांक : 3.9.2003

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका चित्तौड़गढ़ नगर पालिका, चित्तौड़गढ़	उप पंजीयक चित्तौड़गढ़	अध्यक्ष नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

राजस्थान सरकार

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

3 0 MAR 2007

03AA 622410

विक्रय मुल्य 16,84,050/रू.

1. नोटः— यह स्टाम्प लीजडीड सं. 32/2007—08 के साथ संलग्न है।
2. मेवाड एज्यूकेशन सोसायटी द्वारा संचालीत मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी का भुखण्ड गांधीनगर सेक्टर सं. 5 के पास चित्तौड़गढ़ के विस्तार की अतिरिक्त भूमि की लीजडीड वास्ते तकमील हेतु पेश हैं।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ

अध्यक्ष
नगर पालिका, चित्तौड़गढ

अध्यक्ष

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

उप पंजीयक ... चित्तौड़गढ़

आज दिनांक 9 माह May सन् 2007 को 12:07 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री MEWAR GIRLS INSTITUTE OF TECH. पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री THREW CHAIRMAN
उम्र 0 वर्ष, जाति ________ व्यवसाय ____________
निवासी CHITTORGARH
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता   हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHITTORGARH
(2007002943)
(Lease deed for local bodies (Patta))

रसीद नं० 2007002307 दिनांक 09/05/2007
पंजीयन शुल्क रू0 17690/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 104940/-
कुल योग रू0 122830/-

(2007002943)   उप पंजीयक, CHITTORGARH
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1-E.O. NAGAR PALIKA CHITTORGARH/E.O. NAGAR PALIKA CHITTORGARH
Age:0, Caste-
Ocu.-
R/O-E.O. NAGAR PALIKA CHITTORGARH

(And Claimant)
1-MEWAR GIRLS INST. OF TECH THREW CHAIRMAN/BHANWAR LAL S/O. HAJARIMAL
Age:84, Caste-GADIYA
Ocu.-RETD.
R/O-GANDHI NAGAR CHITTORGARH

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 1768260/– पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे सें रू0 1768260/–पूर्व में ———
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री GOVIND LAL
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHANWAR LAL उम्र 59 वर्ष
जाति GADIYA व्यवसाय BUSI
निवासी SHASTRI NAGAR CHITTORGARH

2. श्री/श्रीमती/सुश्री RADHA KRISHNA
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NAND LAL उम्र 42 वर्ष
जाति GADIYA व्यवसाय BUSI
निवासी SHASTRI NAGAR CHITTORGARH ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2007002943) उप पंजीयक, CHITTORGARH
(Lease deed for local bodies (Patta))

नगर पालिका चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/भूमि.वि./लीज डीड/07/32 दिनांकः–08.0

शाश्वत लीज डीड

(राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अंतर्गत)

यह करार एक पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हे इसमें आगे "पट्टाकर्ता" कहा गया हैं और दूसरे पक्षकार के रूप में मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ द्वारा संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** जिसे इसमें आगे "पट्टादार" कहा गया हैं) के बीच आज तारीख 08.05.2007 को किया गया हैं।

अतः पट्टेदार का पट्टेकर्ता को इसमें आगे वर्णित भूखण्ड, जो कि पट्टाकर्त्ता का हैं। पट्टा देने के लिए आवेदन किया हैं और पट्टाकर्ता ने पट्टेदार द्वारा किये गये कथनों और अभिव्यक्तियों का विश्वास करते हुए उक्त स्वीकार कर लिया हैं और इसमें आगे बताई गई रीति में पट्टेदार को उक्त भूखण्ड का पट्टान्तरण करने को सहमत हो गया हैं।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी हैं कि इस विलेख के निष्पादन से पूर्व प्रीमियम के संदत रूपये **1684050**/रू. अक्षरे सोलह लाख चौरीयासी हजार पचास रू. के जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता हैं, और इसमें आगे आरक्षित किराये और इसमें आगे दी हुई पट्टेदार की और से की गई प्रसंविदाओं के प्रतिफल स्वरूप पट्टाकर्ता पट्टेदार की इसके द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड पट्टान्तरित करता हैं। जिसकी संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** के विस्तार हेतु गांधीनगर सेक्टर 5 के पास हैं, जिसका क्षेत्रफल (**14033.75**) वर्गफीट भूमि हैं। इस संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** के लिये भूखण्ड का विस्तृत वर्णन नीचे लिखी अनुसूची में लिया गया हैं अधिक स्पष्टता के लिये उसकी सीमायें इस विलेख से संलग्न नक्शें में लाल रंग में दर्शाई गई हैं और उसमें लाल रंग भरा हैं। (जिसे इसमें आगे संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूखण्ड कहा गया है), पट्टाकर्ता उसके सभी अधिकारो, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित, जो उक्त संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड के परिसर के कब्जे से अतिरिक्त भूमि से सम्बन्धित है। तारीख 08.05.2007 से सदा के लिये पट्टेदार को पट्टान्तरित करता हैं 99 वर्ष तक वार्षिक पट्टान्तरण इस शर्त पर किया गया है कि पट्टेदार भूमि किराये के (**प्रथम तीन वर्ष तक 21050/ प्रतिवर्ष एवं तीन वर्ष पश्चात 42101/ प्रतिवर्ष**) जो अग्रिम रूप में संदेय होगा का संदाय करेगा और उसके पश्चात प्रीमियम (पहले की सदत्त राशि और इसमें अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं और शर्तो के अधीन प्रीमियम की और संदय हो ऐसी अन्य राशि या राशियां) के ढाई प्रतिशत की दर पर या ऐसे बढे हुए अन्य भूमि किराये का जो इसमें आगे अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं और शर्तो के अधीन इसके पश्चात निर्धारित किया जाये, प्रतिवर्ष पन्द्रह जनवरी और पन्द्रह जुलाई को समान अर्द्धवार्षिक और किश्तों में ऐसे स्थान पर जो पट्टेकर्ता द्वारा समय–समय पर प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया जाये, संदाय करेगा। ऐसा प्रथम संदाय माह मार्च की पन्द्रह तारीख को किया जायेगा। इस और इस लीज के प्रारम्भ की तारीख से अन्तिम वर्णित तारीख तक के किराये की रकम रूपये आवंटन तिथी से लीजमनी 4,21,013/– रू. का संदाय इस विलेख के निष्पादन से पूर्व जमा किया जा चुका हैं।

उपाबंध

ये इसमें आगे अन्तर्रिष्ट अपवादों आरक्षणों प्रसंविदाओं और शर्तो जो निम्न प्रकार हैं के अधीन होगाः–

पट्टाकर्ता संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि भूखण्ड मे या उसके नीचे की समस्त खानों, खनिज, कोयलों गोल्ड वार्निश, भू तैल खदानों और सदैव ऐसे समस्त कार्य और चीजें जो इनकी तलाशी करने, इसके लिये कार्य करने इन्हे प्राप्त करने हटाने और इसका उपभोग करने का प्रयोजनार्थ आवश्यक और समीचनी हो महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड की सतह या उस पर तत्पसयम बने किसी भवन के लिये कोई ऊध्व सहारा दिये बिना छोडे बिना करने के समस्त अधिकार और शक्तियॉ स्वयं के लिए छोडता हैं और आरक्षित रखता हैं परन्तु पट्टाकर्ता इसके द्वारा आरक्षितु या इनमें किसी अधिकार का प्रयोग करने के समस्त सीधे नुकसान के लिये पट्टेदार को उचित प्रतिकर देगा।

अध्यक्ष
मेवाड़ एज्यूकेशन सोसाइटी

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, चितौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका, चितौड़गढ़

पट्टेदार स्वयं अपने वारिसों निष्पादको प्रशासकों और समानुदेशितियों के लिये पट्टेकर्ता से निम्नलिखित रीति में प्रसंविदायें करता हैं अर्थातः–

1. पट्टेदार ऐसे समय के भीतर और ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियों का भुगतान करेगा जो भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिनिर्णित ऐसे प्रतिकर जो निर्देश पर या अपील में या दोनो में बढा दिया गया हो पट्टाकर्ता द्वारा निश्चित किया जाये और इस निर्मित पट्टाकर्ता का विनिश्चय और अन्तिम और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा इसके द्वारा आरक्षित प्रीमियम के ढाई प्रतिशत के वार्षिक किराये की संगणना इस विलेख के निष्पादन से पूर्व पट्टाकर्ता द्वारा प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि पर और प्रीमियम के रूप में संदेय ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियों पर जिसका कि इसमें उपलब्ध किया गया हैं। तारीख 08.05.2007 से की जावेगी।
2. पट्टेदार पट्टाकर्ता को इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराये का संदाय इसमें पहले नियत दिवसों पर और उसी रीति में करेगा।
3. पट्टेदार स्वयं के खर्चे से आवश्यक डिजाईनों, नक्शों और विनिर्दिष्टियों सहित भवन के नक्शें की मंजूरी नगर पालिका या अन्य प्राधिकरण से प्राप्त करने की तारीख से दो वर्षो की कालावधि के भीतर और इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय संविदा का गर्भ होगा, संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** के विस्तार हेतु भूखण्ड पर परिनिर्माण करेगा और भवन के मंजूर नक्शें के अनुसार और आवश्यक और समुचित दीवारों, मलनालियों तथा उक्त नगर पालिका या अन्य प्राधिकरण के समाधान हेतु सुविधाओं सहित संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** केन्द्र के लिए प्रर्याप्त और कार्यकार जैसी रीति से एक संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ गैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** तैयार करेगा।
4. (क) पट्टेदार पट्टाकर्ता की लिखित सहमति, जिसके लिये वह पूर्ण स्वविवेकानुसार इन्कार करने का हकदार होगा, के सिवाय संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड को कब्जे का पूर्णतः या अंशतः विक्रय अन्तरण या समनुदेशन नही करेगा या अलग नही करेगा।

   परन्तु यह और कि सहमति की दशा में पट्टाकर्ता ऐसे निबंधन और शर्ते अधिरोपित कर सकेगा जो वह उचित समझे और पट्टेकर्ता विक्रय, अन्तरण अमनुदेशसन का कब्जा अलग करने का समय संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड के मुल्य (अर्थात संदत्त प्रीमियम और बाजार मुल्य के बीच का अन्तर) में अनार्जित वृद्धि के एक भाग का दावा करने और वसूल करने का हक होगा। वसूली योग्य रकम अनार्जित की 50 प्रतिशत होगी और बाजार मूल्य के संबंध में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

   परन्तु यह और कि पट्टाकर्ता को उपयुक्त के अनुसार अनर्जित वृद्धि के पचास प्रतिशत की कटोती करने के पश्चात सम्पति को कय करने का अग्रकयाधिकार होगा।

   (ख) ऊपर उपखण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पट्टेदार राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हे इस में आगे राज्यपाल कहा गया हैं) की लिखित में पूर्व सहमति से संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड ऐसे व्यक्ति को, जिसका राज्यपाल पूर्ण स्वविवेकानुसार अनुमोदन करे, बन्धक या भारित सम्पति के विकय या पुरोबध की दशा में पट्टेकर्ता उपयुक्त के अनुसार संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड के मुल्य के अनर्जित वृद्धि के पचास (50) प्रतिशत का दावा करने और वसूल करने का हकदार होगा और उक्त अनर्जित वृद्धि के पट्टेकर्ता के अंश की रकम, उक्त रकम या भार पर पूर्विवक्ता के कारण प्रथम भार होगी। उक्त संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड के बाजार मूल्य के संबंध में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम होगा और संबंधित पक्षकारी पर बाध्यकारी होगा।

   परन्तु यह और कि पट्टाकर्ता को उपर्युक्त के अनर्जित वृद्धि के पचास प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात वधित या भारित सम्पति को कय करने का अग्रकयाधिकार होगा।
5. पट्टाकर्ता का अनर्जित वृद्धि के पचास प्रतिशत की वसूली का अधिकार और इसमें पहलेश्र्यथावर्णित सम्पति का अग्रकयाधिकार अस्वैच्छिक विकय या अन्तरण जो चाहे किसी कार्यपाल या दिवानी का न्यायालय द्वारा या उसके माध्यम से हो, पर समान रूप से लागू होगा।

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, चित्तौड़गढ

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

6. ऊपर उप–खण्ड (4) (क) में यथावर्णित निबंधनों, परिसीमाओं और शर्तो के होते हुए भी पट्टेदार उस भवन को जो प्राईवेट निवास पर प्रयोजनार्थ संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड परिनियित किया गया हो, पूरा या उसके किसी भाग को किराये पर नही दिया जा सकता हैं।

7. जब कभी भी संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड में पट्टेदार का स्वत्व किसी भी रीति से अन्तरित हो जाये अन्तिरिती इसमें अन्तर्विष्टि समस्त प्रसंविदाओं और शर्तो में आबद्व करेगा और इसके लिये हर प्रकार से उत्तरदायी होगा।

8. जब कभी भी संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** इस भूखण्ड में पट्टेदार का स्वत्व किसी भी रीति में आन्ति हो जाये, अन्तरिसी अन्तरण के तीन मास के भीतर, पट्टेकर्ता को इस अन्तरण की लिखित सूचना देना। यह भूखण्ड अहस्तान्तरणीय है।
अन्तरितों वह व्यक्ति जिसे स्वत्व न्यायगत हो तथा स्थिति, पट्टाकर्ता को अन्तरणय न्यायगमन का साक्ष्य देने वाले दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियॉं देना।

9. पट्टेदार समय–समय पर और ऐसी समन्तरों, करों, प्रभारों और हर प्रकार के निर्धारणों का संदाय और उन्मोचन करेगा जो अभी या इसके पश्चात इस लीज के जारी रहने के दौरान किसी भी समय इसके द्वारा पट्टान्तरित संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट· एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड पर या उस पर परिनिर्मित किसी भी भवन या इससे संबंधित किसी भू स्वामी पर निर्धारित, प्रभावित या अधिरोपित किया जाये।

10. इसके द्वारा पट्टान्तरित संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड के संबंध में देय किराये और अन्य सदाय के बकाया उसी रीति से जिससे भू राजस्व बकाया वसूल किया जाता हैं वसूलीय होगें।

11. पट्टेदार समुचित नगर पालिका या तत्समय प्रवृत अन्य प्राधिकरण के भवन नाली और अन्य उप–नियमों को सभी तरह से अनुपालन करेगा और उसमं आबद्ध होगा।

पट्टेदार समुचित नगर पालिका या अन्य प्राधिकरण की लिखित मन्जुरी या अनुज्ञा के बिना संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** पर कोई भवन परिनिर्मित नही करेगा या ऐसे भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नही करेगा।

पट्टेदार पट्टाकर्ता को लिखित सहमति के बिना संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड पर या उस पर के किसी भी भवन में कोई व्यापार या कारोबार जो कुछ भी हो, नही करेगा या किये जाने की अनुज्ञा नही देगा या प्राईवेट शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नही करेगा या उपयोग किये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा या उसमें कोई ऐसा कार्य जो कुछ भी हो नही करेगा या करने नही देगा जिसमें पट्टाकर्ता की राय में पट्टाकर्ता और पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए न्युसेन्स क्षोभ या विघ्न हों।
परन्तु यदि पट्टेदार उक्त संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड या उस पर के भवन का उपयोग महाविद्यालय से भिन्न प्रयोजनार्थ करने का इच्छुक हो पट्टाकर्ता अतिरिक्त प्रीमियम या अतिरिक्त किराये के संदाय सहित ऐसे निबंधनो और शर्तो पर जो पट्टाकर्ता पूर्ण स्वेविवेकानुसार अवधारित करें उपयोग के ऐसे परिवर्तन को अनुपात कर सकता हैं।

14. पट्टेदार सभी उपयुक्त अवसरों पर राज्यपाल को यह समाधान करने के लिए संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** के भूखण्ड पर प्रवेश करने देगा कि इसमें वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तो का अनुपालन किया गया है और किया जा रहा हैं।

15. पट्टेदार इस लीज के पर्यवसान पर उक्त संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड पर बने भवनो को शांतिपुर्वक पट्टाकर्ता के लिए छोड देगा।

अधिशाषी अधिकारी / **उपपंजीयक चित्तौड़गढ़**
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

यदि इसमें पहले यथावर्णित प्रीमियम या इसके द्वारा आरक्षित या उसका कोई भाग उक्त तारीख जब वह देय हो गया, पश्चात एक कलेण्डर 6 मास तक किसी समय बकाया और असंदत्त रहता है चाहे, उसकी मांग की गई हो या नही या यदि यह पता चल जाय की लीज कोई भी तथ्य छुपाकर या किसी अशुद्ध कथन दुर्व्यवेदन या कपट से प्राप्त की गई या पट्टाकर्ता जिसका विनिश्य अन्तिम होगा, की राय है कि पट्टेदार ने या उसके माध्यम से या उससे व्युत्पन्न अधिकारी के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने इसमें अन्तर्विष्ट और उसके द्वारा अनुपालना की जाने वाली प्रसंविदाओं और शर्तो में किसी को भंग किया है। तो उस दशा में, इस बात के होते हुए भी इसके द्वारा पट्टान्तिरत संचालित मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड और उस पर बने भवनों में पुनः प्रवेश के किसी पूर्व हेतुक या अधिकार का अधित्यजन कर दिया हैं, पट्टकर्ता के लिए यह अधिपूर्ण होगा कि वह संचालित मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी भूखण्ड पर पुनः प्रवेश करे और उस पर बने भवनों और फिक्चरो का कब्जा ले और तब यह लीज और इसमें अन्तर्विष्ट प्रत्येक बात समाप्त और पर्यवसित हो जायेगी और पट्टेदार को किसी भी प्रतिकार के लिए या उस प्रीमियम के जिसका उसने संदाय किया है लौटाए जाने के लिए हकदार नही होगा।

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकुल बात के होते हुए भी पट्टाकर्ता अपने पुनः प्रवेश के उपयुक्त अंधकार पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना और पूर्ण स्वविवेकानुसार, ऐसी रकम प्राप्त होने पर और ऐसे निर्बधनो और शर्तो पर, जो उसके द्वारा निश्चित हो जाये, भाग अस्थायी रूप से अन्यथा अधित्यजन या आकर्षण कर सकता हैं और किराये का जो उपयुक्त रूप से बकाया होगा, 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित संदाय स्वीकार कर सकता हैं।

कोई भी जब्ती या पुनः प्रवेश की अनुज्ञा नही दी जावेगी जब तक कि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर लिखित रूप से ऐसी सूचना कोई तामिल न कर दी हो जिसमें:—

(क) उस भंग का उल्लेख हो जिसके बारे में शिकायत की गई हो और

(ख) यदि भंग उपचार योग्य है। तो पट्टेदार से उस भंग का उपचार करने की उपेक्षा की हो,

और पट्टेदार सूचना में यथावर्णित उचित समय के भीतर उस भंग का यदि वह उपचार के योग्य है, तो उपचार करने में असफल हुआ हो, और जब्ती या पुनः प्रवेश की दशा में पट्टाकर्ता स्वविवेकानुसार ऐसे निबंधनो और शर्तो पर जो वह उचित समझे उस जब्ती के विरूद्ध राहत दे सकेगा।

इस खण्ड की कोई बात जब्ती या पुनः प्रवेश पर निम्नलिखित के लिए लागू नही होगी:—

(क) उपविभाजन या सम्मेलन, उपबंधित समय के भीतर भवन के परिनिर्माण और पूर्ण करने और संचालित मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी भूखण्ड के अन्तरण, जैसा कि खण्ड 11 में उल्लेख है, से सम्बन्धित प्रसंविदाओं और शर्तो के भंग के लिए या

(ख) उस दशा में, जब लीज किसी तथ्य को छुपाने अशुद्ध कथन, दुर्व्यवदेशन या कपट से प्राप्त की गई हो।

इसके द्वारा आरक्षित किराये में तारीख 10 जनवरी 2007 से और उसके पश्चात 15 वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती कालावधि के अंत में बढाया जायेगा। परन्तु नियत किराये में वृद्धि प्रत्येक वृद्धि पर हर बार संदेय वार्षिक किराये के 25 प्रतिशत से अधिक नही होगा।

इस विलेख के अधीन या उनके सम्बन्ध में (सिवाय ऐसे मामलो के जिनके विनिश्चय का इन विलेखों द्वारा विनिर्दिष्ट उपलब्ध किया गया हैं) कोई प्रश्न, विवाद या मदभेद उत्पन्न होने की दशा में उसे राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकल माध्यमस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा। वह अपेक्षा नही होगा कि मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है और यह कि उसे उन मामलो पर विचार करना पड़ता है जिनसे लीज सम्बन्धित है या यह कि उसकी सरकारी कर्मचारी के रूप में ड्यूटी के दौरान वह विवादग्रस्त या मतभेद के समस्त या किन्ही मामलो पर विचार व्यक्ति कर चुका है मध्यस्थ का पंचाट अंतिम और पक्षकारो पर बाध्यकारी होगा।

मध्यस्थ, पक्षकारों की सहमति पर पंचाट करने और प्रकाशित करने की कालावधि, समय–समय पर बढ़ा सकता है। उपयुक्त के अध्ययधीन मध्यस्थ अधिनियम 1940 और उसके अधीन तत्समय प्रवृत नियम तथा उसके कोई उपान्तरण इस खण्ड के अन्तर्गत माध्यस्थम् कार्यवाहियों पर लागू समझे जायेगें।

अध्यक्ष
युवेशन सोसाइटी, चित्तौड़ (राज.)

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

पंजीयक चित्तौड़गढ़

इस लीज के अधीन दिये जाने वाले समस्त नोटिस, आदेश निर्देश समितियों या अनुमोदन लिखित रूप में होगें और उन पर ऐसे अधिकारी द्वारा राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत किया जाये हस्ताक्षर किये जाएगे और उन्हे पट्टेदार या आवासीय भूखण्ड पर किसी का दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर सम्यक रूप से तामील हुआ समझा जाएगा यदि वे संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड पर बने किसी या पर निर्माण चाहे अस्थाई या अन्यथा पर चिपका दिया जाएगा या पट्टेदार अथवा ऐसे व्यक्ति के तत्काली निवास स्थान, कार्यालय या कारोबार के स्थान पर सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास स्थान, कार्यालय या कारोबार के स्थान पर परिदत्त कर दिया जाएगा या डाक द्वारा भेज दिया जाएगा।

(क). इस लीज के अधीन पट्टकर्ता द्वारा प्रयोग में किये जाने योग्य समस्त शक्तियों का राज्यपाल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, पट्टाकर्ता उसे लीज के अधीन प्रयोग किये जाने वाले समस्त या किन्ही शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता हैं।

(ख) राज्यपाल उपर उपखण्ड (क) के आधार पर उसके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले पट्टाकर्ता की शक्तियों के सिवाय, ऐसा समस्त या किन्ही शक्तियों का प्रयोग जिनका इस लीज के प्रयोग करने के वह सशक्त है का प्रयोग करने के लिये किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता हैं।

इस लीज में शब्द "राज्यपाल" से राजस्थान का राज्यपाल अभिप्रेत है। उक्त शब्दो मे ऐसा अधिकारी जो इस लीज के अधीन राज्यपाल के कृत्यो का सम्पादन के लिए पट्टाकर्ता द्वारा पदाभिहिंत किया जाए भी सम्मिलित होगा।

इससे पूर्व में प्रयुक्त शब्दो "पट्टाकर्ता" और पट्टेदार में जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार हो, पट्टाकर्ता के नाम ले में उनके उत्तराधिकारी और समुनदेशिती तथा पट्टेदार के मामलो में उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक या विधिक प्रतिनिधि या वह या वे व्यक्ति जिनमें इसके द्वारा सृजित लीज होल्ड हित तत्समय समनुदेश द्वारा अन्यथ निहित किया जायेगा, सम्मिलित होगें।

यह लीज गवनमेंट ग्रान्टस एक्ट 1895 (अधिनियम सं. 11 सन् 1895) के अधीन दी गई है।

<u>शर्तें:–</u>

1. अतिरिक्त भूमि राजस्थान सरकार स्वायत शासन विभाग के पत्र कमांक/भूमि/एफ 7/(क) (8) डीएलबी/03/141 दिनांक 10.01.2007 की अनुपालना में वर्तमान की आरक्षित आवासीय दर 120/रू. प्रति वर्गफीट से आवंटन किया जा रहा है।

2. जिस प्रयोजन के लिये भूमि आवंटित की गई है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग नही किया जा सकेगा तथा आवंटित भूमि को विकय या अन्यथा हस्तान्तरित नही किया जा सकेगा तथा आवंटित भूमि का आवंटन प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भवन के निर्माण से पूर्व एवं पश्चात किसी भी प्रतिबन्ध के दायित्वाधीन नही होगा।

3. राज्य सरकार या आवंटन प्राधिकारी को किसी विकास या सुधार के लिये आवंटित भूमि के किसी भाग की बाद में किसी चरण में यदि आवश्यकता हो तो उसे आवंटन अधिकारी द्वारा पूर्व में जिस दर आवंटन किया गया था उस दर पर वापस लिया जा सकेगा तथा उक्त भूमि के भाग पर किये गये निर्माण एवं विकास का मुआवजा आवंटन प्राधिकारी द्वारा पृथक से भुगतान किया जावेगा।

4. भूमि प्रारंभिक तौर पर दो वर्ष के भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ आवंटित की जाती है। इस अवधि में जिस प्रयोजन के लिये भूमि आवंटित है भवन का निर्माण पूर्ण कराना होगा। भवन का निर्माण अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवंटन की तिथि से एक वर्ष में प्रारंभ करना होगा।

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

5. अनुमोदित भवन मानचित्र के अनुसार आवंटन की तिथि से दो वर्ष में पूर्ण कर उपभोग मे लेना होगा। इसके किसी शर्त के उल्लधंन पर आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं भूमि भवन के साथ वापस आवंटन प्राधिकारी को भार रहित वापस प्राप्त हो जायेगी इसके लिये कोई मुआवजा नही दिया जायेगा। आवंटन प्राधिकारी उचित समझता है तो भवन निर्माण की तथा पूर्ण होने एवं उपयोग में लाने की अनुज्ञा की समयावधि आगे दो वर्ष के लिये बढा सकेगा। आवंटन की दिनांक से दो वर्ष अवधि में यदि आवंटी आवंटन प्राधिकारी को भूमि वापस समर्पित करना चाहता है तो आवंटन प्राधिकारी भूमि का कब्जा प्राप्त कर आवंटन राशि वापस लौटा देगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

6. प्रत्येक वर्ष के माह अप्रेल में आवंटन प्राधिकारी द्वारा जिन संस्थाओं को पूर्व मे भूमि आवंटित की गई है उनका सर्वे करवाया जावेगा। जहां भूमि रिक्त पाई जॉवे अथवा संस्था द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लधंन पाया जाने पर आवंटन की निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
7. किसी राष्ट्रीय कार्य या किसी आपातकाल में राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या जिला मजिस्ट्रेट भवन या परिसर को अस्थाई रूप से उपयोग में ले सकेगा इसके लिये किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नही दिया जावेगा।
8. संस्थाओ को रियायती दर पर आवंटित भूमि का उपयोग यदि पब्लिक एवं चेरीटेबल उद्देश्य के लिये नही होना पाया जाता है तो उक्त भूमि एवं उस निर्मित भवन सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगा तथा उनका कोई मुआवजा नही देय नही होगा।
9. यह भुखण्ड सिर्फ मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी महा विद्यालय के विस्तार हेतु ही उपयोग में लिया जा सकेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखित तारीख पट्टाकर्ता के लिये और उनकी और से तथा उसके आदेश और निर्देश से अध्यक्ष महोदय ने और पट्टेदार मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी चित्तौड़गढ़ द्वारा संचालित मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी ने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

स्टाम्पः– 03AA 622410 मुल्य 10,000/ संख्या एक

<u>अनुसुची जिसका उपर उल्लेख किया हैं</u>

नगरपालिका चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा संकल्प – दिनांक 08.05.2007 द्वारा मंजूर गांधीनगर सेक्टर सं. 5 के पास के ले आउट नक्शे में 14033.75 वर्गफीट भूमि है। उसकी सीमाये निम्न संलग्न साईड प्लान में लाल रंग में हैं जो A,B,C,D,E में दर्शाई गई हैं।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी संचालित मेवाड एज्यूकेशन सोसायटी चित्तौड़गढ़।

अध्यक्ष
मेवाड़ एज्यूकेशन सोसाइटी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1. गवाह श्री..............................
....
पता..............................
....
की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किये
2. गवाह श्री..............................
....
पता..............................
....
की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किये

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

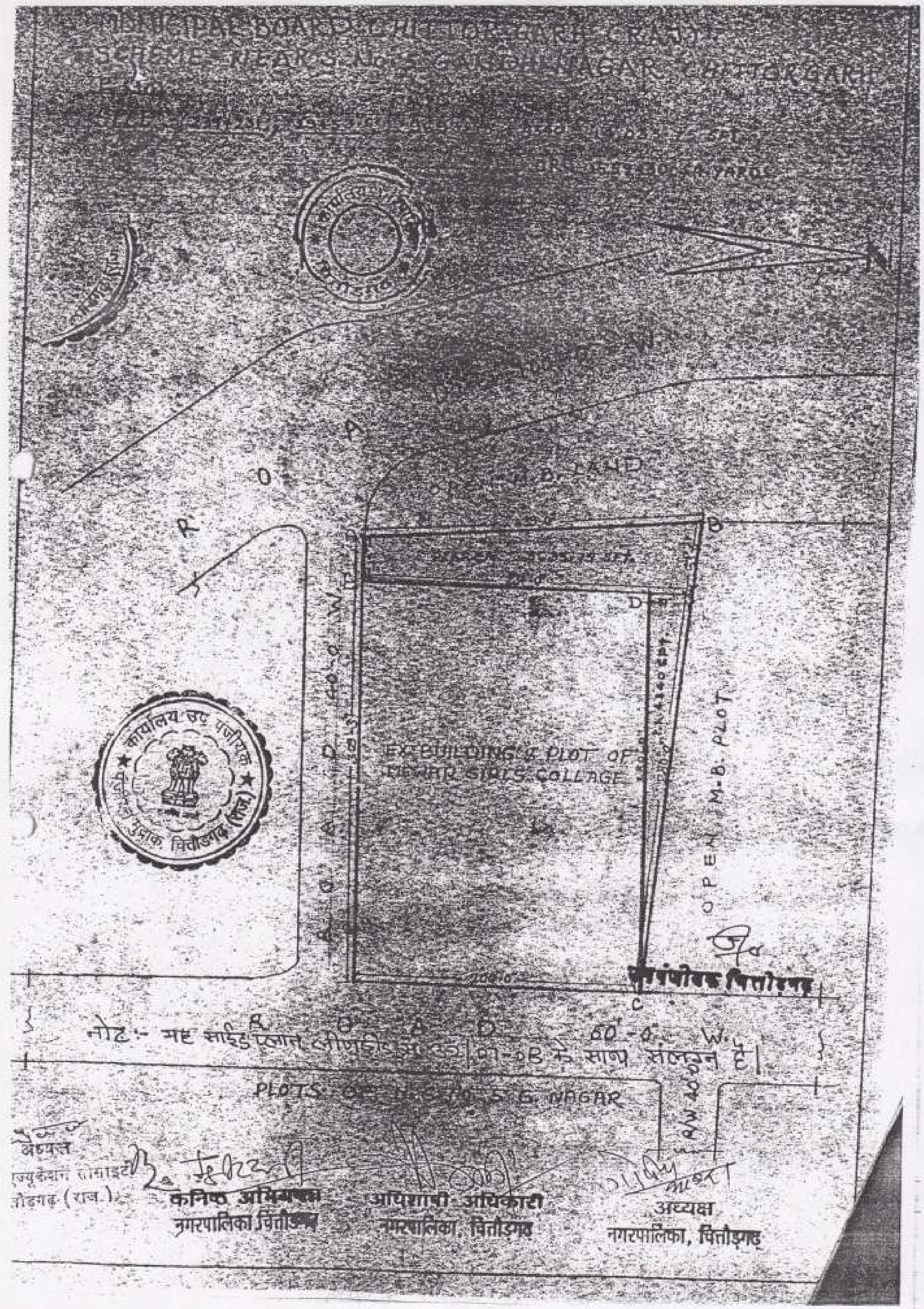
MUNICIPAL BOARD CHITTORGARH (RAJ.)
SCHEME NEAR S. No. 5 GANDHI NAGAR CHITTORGARH
OPEN M.B. LAND
EX BUILDING & PLOT OF
MEWAR GIRLS COLLAGE
OPEN M.B. PLOT
ROAD 60'-0" W.
नोट :- यह साईड प्लान
के साथ संलग्न है।
PLOTS
S. G. NAGAR
उप पंजीयक चित्तौड़गढ़
कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका चित्तौड़गढ़
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़
अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB-REGISTRAR, CHITORGARH
CHITORGARH
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2007004908 Dated : 21/09/2007
Presenter Name : MEWAR EDUCATION SOCIATY COR Face Value : 6369930
Presenter Address : GANDHI NAGAR SEC 5 CHITTORGARH
Document Type : Lease Deed (more than equal to 20 Years)
Claimant Name : MEWAR EDUCATION SOCIATY CHITTORGARH, BHANWAR LAL R/O. GANDHI NA
Document S.No. : 2007005842 Stamp Value : 300000

Ordinary Registration Fee	: 25000	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 114050
Translation Fee us/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 139250

Amount Rs. One Lakh Thirty Nine Thousand Two Hundred Fifty only

Cashier

Sub Registrar : CHITTORGARH
उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

राजस्थान सरकार

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

18 SEP 2007

नगर पालिका चित्तौड़गढ़(राज.) 76628

क्रमांक / भूमि.वि. / लीज डीड / 07–08 / 150 दिनांक:–20.09.2007

शाश्वत लीज डीड (संस्थानिक)

(राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अंतर्गत)

यह करार एक पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हे इसमें आगे "पट्टाकर्ता" कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में **मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ़** द्वारा संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** जिसे इसमें आगे "पट्टादार" कहा गया है) के बीच आज तारीख 20.09.2007 को किया गया हैं।

अतः पट्टेदार का पट्टेकर्ता को इसमें आगे वर्णित भूखण्ड, जो कि पट्टाकर्ता का हैं। का पट्टा देने के लिए आवेदन किया हैं और पट्टाकर्ता ने पट्टेदार द्वारा किये गये कथनों और अभिव्यक्तियों का विश्वास करते हुए उक्त स्वीकार कर लिया हैं और इसमें आगे बताई गई रीति में पट्टेदार को उक्त भूखण्ड का पट्टान्तरण करने को सहमत हो गया हैं।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि इस विलेख के निष्पादन से पूर्व प्रीमियम के लिए संदत रूपये **6066600** / रू. अक्षरे साठ लाख छासठ हजार छः सौ रू. के जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता हैं, और इसमें आगे आरक्षित किराये और इसमे आगे दी हुई पट्टेदार की ओर से की गई प्रसविदाओं के प्रतिफल स्वरूप पट्टाकर्ता पट्टेदार की इसके द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड पट्टान्तरित करता हैं। जिसकी संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** के विस्तार हेतु गांधीनगर सेक्टर 5 के पास हैं, जिसका क्षेत्रफल **(50555)** वर्गफीट भूमि हैं। इस संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** के लिये भूखण्ड का विस्तृत वर्णन नीचे लिखी अनुसूची मे लिया गया हैं अधिक स्पष्टता के लिये उसकी सीमायें इस विलेख से संलग्न नक्शे मे लाल रंग में दर्शाई गई हैं और उसमें लाल रंग भरा हैं। (जिसे इसमें आगे संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूखण्ड कहा गया है), पट्टाकर्ता उसके सभी अधिकारो, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित, जो उक्त संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड के परिसर के कब्जे से अतिरिक्त भूमि से सम्बन्धित है। तारीख 20.09.2007 से सदा के लिये पट्टेदार को पट्टान्तरित करता हैं 99 वर्ष तक वार्षिक पट्टान्तरण इस शर्त पर किया गया है कि पट्टेदार भूमि किराये के **(प्रथम तीन वर्ष तक 75833 / प्रतिवर्ष एवं तीन वर्ष पश्चात 151665 / प्रतिवर्ष)** जो अग्रिम रूप में संदेय होगा का संदाय करेगा और उसके पश्चात प्रीमियम (पहले की सदत्त राशि और इसमें अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं और शर्तो के अधीन प्रीमियम की और संदय हो ऐसी अन्य राशि या राशियां) के ढाई प्रतिशत की दर पर या ऐसे बढे हुए अन्य भूमि किराये का जो इसमें आगे अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं और शर्तो के अधीन इसके पश्चात निर्धारित किया जाये, प्रतिवर्ष पन्द्रह जनवरी और पन्द्रह जुलाई को समान अर्द्धवार्षिक और किश्तों में ऐसे स्थान पर जो पट्टेकर्ता द्वारा समय–समय पर प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया जाये, संदाय करेगा। ऐसा प्रथम संदाय माह मार्च की पन्द्रह तारीख को किया जायेगा। इस और इस लीज के प्रारम्भ की तारीख से अन्तिम वर्णित तारीख तक के किराये की रकम रूपये आवंटन तिथी से लीजमनी **1516650** / – रू. का संदाय इस विलेख के निष्पादन से पूर्व जमा किया जा चुका हैं।

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़ | अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, चित्तौड़गढ | अध्यक्ष नगरपालिका, चित्तौड़गढ

क्रमांक 39 दिनांक 18-9-07
श्रीमान् कल्लूलाल गाडिया
आत्मज, मिवास मल्लू के ग्राम सीतल्डी
84
नि. चौ. इगोर

कोषाधिकारी
चित्तौड़गढ़

नोट– स्टाम्प नम्बर 37 – 25000, 40 – 25000, 41 – 25000, 45 – 25000, 46 – 25000, 48, 49, 50 – 25000
कुल नग 12 तादाद रु. 300000
के संलग्न कर जारी किये ।

कोषाधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्थान सरकार

00DD 076629

उपाबंध

ये इसमें आगे अन्तरिष्ट अपवादों आरक्षणों प्रसंविदाओं और शर्तो जो निम्न प्रकार हैं के अधीन होगाः–

पट्टाकर्ता संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि भूखण्ड मे या उसके नीचे की समस्त खानों, खनिज, कोयलों गोल्ड वार्निश, भू तेल खदानों और सदैव ऐसे समस्त कार्य और चीजें जो इनकी तलाशी करने, इसके लिये कार्य करने इन्हे प्राप्त करने हटाने और इसका उपभोग करने का प्रयोजनार्थ आवश्यक और समीचनी हो महिला महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड की सतह या उस पर तत्यसयम बने किसी भवन के लिये कोई ऊध्व सहारा दिये बिना छोडे बिना करने के समस्त अधिकार और शक्तियाँ स्वयं के लिए छोडता हैं और आरक्षित रखता हैं परन्तु पट्टाकर्ता इसके द्वारा आरक्षित या इनमें किसी अधिकार का प्रयोग करने के समस्त सीधे नुकसान के लिये पट्टेदार को उचित प्रतिकर देगा।

पट्टेदार स्वयं अपने वारिसों निष्पादको प्रशासकों और समानुदेशितियों के लिये पट्टेकर्ता से निम्नलिखित रीति में प्रसंविदायें करता हैं अर्थातः–

पट्टेदार ऐसे समय के भीतर और ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियों का भुगतान करेगा जो भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिनिर्णित ऐसे प्रतिकर जो निर्देश पर या अपील में या दोनो में बढा दिया गया हो पट्टाकर्ता द्वारा निश्चित किया जाये और इस निर्मित पट्टाकर्ता का विनिश्चय और अन्तिम और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा इसके द्वारा आरक्षित प्रीमियम के ढाई प्रतिशत के वार्षिक किराये की संगणना इस विलेख के निष्पादन से पूर्व पट्टाकर्ता द्वारा प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि पर और प्रीमियम के रूप में संदेय ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियों पर जिसका कि इसमें उपलब्ध किया गया हैं। तारीख 20.09.2007 से की जावेगी।

2. पट्टेदार पट्टाकर्ता को इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराये का संदाय इसमें पहले नियत दिवसों पर और उसी रीति में करेगा।

3. पट्टेदार स्वयं के खर्चे से आवश्यक डिजाईनों, नक्शों और विनिर्दिष्टियों सहित भवन के नक्शों की मंजूरी नगर पालिका या अन्य प्राधिकरण से प्राप्त करने की तारीख से दो वर्षो की कालावधि के भीतर और इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय संविदा का गर्भ होगा, संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** के विस्तार हेतु भूखण्ड पर परिनिर्माण करेगा और भवन के मंजूर नक्शें के अनुसार और आवश्यक और समुचित दीवारों, मलनालियों तथा उक्त नगर पालिका या अन्य प्राधिकरण के समाधान हेतु सुविधाओं सहित संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** केन्द्र के लिए प्रर्याप्त और कार्यकार जैसी रीति से एक संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** तैयार करेगा।

4. (क) पट्टेदार पट्टाकर्ता की लिखित सहमति, जिसके लिये वह पूर्ण स्वविवेकानुसार इन्कार करने का हकदार होगा, के सिवाय संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड को कब्जे का पूर्णतः या अंशतः विक्रय अन्तरण या समनुदेशन नही करेगा या अलग नही करेगा। परन्तु यह और कि सहमति की दशा में पट्टाकर्ता ऐसे निबंधन और शर्ते अधिरोपित कर सकेगा जो वह उचित समझे और पट्टेकर्ता विक्रय, अन्तरण अमनुदेशसन का कब्जा अलग करने का समय संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड के मुल्य (अर्थात संदत्त प्रीमियम और बाजार मुल्य के बीच का अन्तर) में अनार्जित वृद्धि के एक भाग का दावा करने और वसूल करने का हक होगा। वसूली योग्य रकम अनार्जित की 50 प्रतिशत होगी और बाजार मूल्य के संबंध में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, चित्तौड़गढ

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ

आज दिनांक 21 माह September सन् 2007 को 14:29 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री MEWAR EDUCATION SOCIATY COR पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री THREW ADHYAKSH
उम्र 85 वर्ष, जाति GADIYA व्यवसाय SERVICE
निवासी GANDHI NAGAR SEC 5 CHITTORGARH
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHITTORGARH
(2007005842)
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

रसीद नं0 2007004908 दिनांक 21/09/2007
पंजीयन शुल्क रू0 25000 / –
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200 / –
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0 / –
अन्य शुल्क रू0 0 / –
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 114050 / –
कुल योग रू0 139250 / –

(2007005842) उप पंजीयक, CHITTORGARH
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

राजस्थान सरकार

0000 076639

परन्तु यह और कि पट्टाकर्ता को उपयुक्त के अनुसार अनर्जित वृद्धि के पचास प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात सम्पति को क्रय करने का अग्रक्रयाधिकार होगा।

(ख) ऊपर उपखण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पट्टेदार राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हे इस में आगे राज्यपाल कहा गया हैं) की लिखित में पूर्व सहमति से संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड ऐसे व्यक्ति को, जिसका राज्यपाल पूर्ण स्वविवेकानुसार अनुमोदन करे, बन्धक या भारित सम्पति के विक्रय या पुरोबध की दशा मैं पट्टेकर्ता उपयुक्त के अनुसार संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड के मूल्य के अनर्जित वृद्धि के पचास (50) प्रतिशत का दावा करने और वसूल करने का हकदार होगा और उक्त अनर्जित वृद्धि के पट्टेकर्ता के अंश की रकम, उक्त रकम या भार पर पूर्विवक्ता के कारण प्रथम भार होगी। उक्त संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड के बाजार मूल्य के संबंध में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम होगा और संबंधित पक्षकारी पर बाध्यकारी होगा।

परन्तु यह और कि पट्टाकर्ता को उपर्युक्त के अनर्जित वृद्धि के पचास प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात वधित या भारित सम्पति को क्रय करने का अग्रक्रयाधिकार होगा।

5. पट्टाकर्ता का अनर्जित वृद्धि के पचास प्रतिशत की वसूली का अधिकार और इसमें पहले यथावर्णित सम्पति का अग्रक्रयाधिकार अस्वैच्छिक विक्रय या अन्तरण जो चाहे किसी कार्यपाल या दिवानी का न्यायालय द्वारा या उसके माध्यम से हो, पर समान रूप से लागू होगा।

6. ऊपर उप–खण्ड (4) (क) में यथावर्णित निबंधनों, परिसीमाओं और शर्तो के होते हुए भी पट्टेदार उस भवन को जो प्राईवेट निवास पर प्रयोजनार्थ संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड परिनियित किया गया हो, पूरा या उसके किसी भाग को किराये पर नही दिया जा सकता हैं।

7. जब कभी भी संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड में पट्टेदार का स्वत्व किसी भी रीति से अन्तरित हो जाये अन्तिरिती इसमें अन्तर्विष्टि समस्त प्रसंविदाओं और शर्तो में आबद्व करेगा और इसके लिये हर प्रकार से उत्तरदायी होगा।

8. जब कभी भी संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** इस भूखण्ड में पट्टेदार का स्वत्व किसी भी रीति में आन्ति हो जाये, अन्तरिसी अन्तरण के तीन मास के भीतर, पट्टेकर्ता को इस अन्तरण की लिखित सूचना देना। यह भूखण्ड अहस्तान्तरणीय है।
अन्तरितो वह व्यक्ति जिसे स्वत्व न्यायगत हो तथा स्थिति, पट्टाकर्ता को अन्तरणय न्यायगमन का साक्ष्य देने वाले दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियॉं देना।

9. पट्टेदार समय–समय पर और ऐसी समन्तरों, करों, प्रभारों और हर प्रकार के निर्धारणों का संदाय और उन्मोचन करेगा जो अभी या इसके पश्चात इस लीज के जारी रहने के दौरान किसी भी समय इसके द्वारा पट्टान्तरित संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड पर या उस पर परिनिर्मित किसी भी भवन या इससे संबंधित किसी भू स्वामी पर निर्धारित, प्रभावित या अधिरोपित किया जाये।

10. इसके द्वारा पट्टान्तरित संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड के संबंध में देय किराये और अन्य सदाय के बकाया उसी रीति से जिससे भू राजस्व बकाया वसूल किया जाता हैं वसूलीय होगें।

11. पट्टेदार समुचित नगर पालिका या तत्समय प्रवृत अन्य प्राधिकरण के भवन नाली और अन्य उप–नियमों को सभी तरह से अनुपालन करेगा और उसमें आबद्ध होगा।

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, चित्तौड़गढ

क्रमांक 1/9 दिनांक 18.09.07
श्री भंवरलाल गादिया
अध्यक्ष मेवाड़ एजुकेशन सोसायटी
84
चित्तौड़गढ़
प्राप्तकर्ता
कोषाधिकारी
चित्तौड़गढ़

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-E.O. NAGAR PALIKA CHITTORGARH/E.O. NAGAR PALIKA CHITTORGARH Age:0, Caste- Ocu.- R/O-E.O. NAGAR PALIKA CHITTORGARH			
(And Claimant) 1-MEWAR EDUCATION SOCIATY CHITTORGARH/THREW ADHYAKSHA अध्यक्ष Age:85, Caste-GADIYA Ocu.-ADHYAKSHA मेवाड़ एजुकेशन सोसायटी R/O-BHANWAR LAL R/O. GANDHI NAGAR (राज.) CHITTORGARH		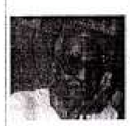	

ने लेख्यपत्र Lease Deed (more than equal to 20 Years) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री / श्रीमती / सुश्री VISHNU SHANKAR
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री NATHU LAL उम्र 48 वर्ष
जाति PALIWAL व्यवसाय BUSI
निवासी 2 B KUMBNHA NAGAR CHITTORGARH

2. श्री / श्रीमती / सुश्री BHUPENDRA SINGH
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री SHAYAM SINGH उम्र 33 वर्ष
जाति KUMAWAT व्यवसाय BUSI
निवासी 2 - B KUMBHA NAGAR CHITTORGARGH ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2007005842) उप पंजीयक, CHITTORGARH
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

00DD 07663

12\. पट्टेदार समुचित नगर पालिका या अन्य प्राधिकरण की लिखित मन्जुरी या अनुज्ञा के बिना संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** पर कोई भवन परिनिर्मित नही करेगा या ऐसे भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नही करेगा।

13\. पट्टेदार पट्टाकर्ता को लिखित सहमति के बिना संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड पर या उस पर के किसी भी भवन में कोई व्यापार या कारोबार जो कुछ भी हो, नही करेगा या किये जाने की अनुज्ञा नही देगा या प्राईवेट शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनार्थ प्रयोग नही करेगा या उपयोग किये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा या उसमें कोई ऐसा कार्य जो कुछ भी हो नही करेगा या करने नही देगा जिसमें पट्टाकर्ता की राय में पट्टाकर्ता और पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए न्युसेन्स क्षोभ या विघ्न हों।

मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी परन्तु यदि पट्टेदार उक्त संचालित भूखण्ड या उस पर के भवन का उपयोग महाविद्यालय से भिन्न प्रयोजनार्थ करने का इच्छुक हो पट्टाकर्ता अतिरिक्त प्रीमियम या अतिरिक्त किराये के संदाय सहित ऐसे निबंधनो और शर्तों पर जो पट्टाकर्ता पूर्ण स्वेविवेकानुसार अवधारित करें उपयोग के ऐसे परिवर्तन को अनुपात कर सकता है।

14\. पट्टेदार सभी उपयुक्त अवसरों पर राज्यपाल को यह समाधान करने के लिए संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** के भूखण्ड पर प्रवेश करने देगा कि इसमें वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तो का अनुपालन किया गया है और किया जा रहा हैं।

15\. पट्टेदार इस लीज के पर्यवसान पर उक्त संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड पर बने भवनो को शांतिपुर्वक पट्टाकर्ता के लिए छोड देगा।

यदि इसमें पहले यथावर्णित प्रीमियम या इसके द्वारा आरक्षित या उसका कोई भाग उक्त तारीख जब वह देय हो गया, पश्चात एक कलेण्डर 6 मास तक किसी समय बकाया और असदत्त रहता है चाहे, उसकी मांग की गई हो या नही या यदि यह पता चल जाय की लीज कोई भी तथ्य छुपाकर या किसी अशुद्ध कथन दुर्व्यवेदन या कपट से प्राप्त की गई या पट्टाकर्ता जिसका विनिश्य अन्तिम होगा, की राय है कि पट्टेदार ने या उसके माध्यम से या उससे व्युत्पन्न अधिकारी के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने इसमें अन्तर्विष्ट और उसके द्वारा अनुपालना की जाने वाली प्रसंविदाओं और शर्तो में किसी को भंग किया है। तो उस दशा में, इस बात के होते हुए भी इसके द्वारा पट्टान्तिरत संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भूखण्ड और उस पर बने भवनों में पुनः प्रवेश के किसी पूर्व हेतुक या अधिकार का अधित्यजन कर दिया हैं, पट्टकर्ता के लिए यह अधिपूर्ण होगा कि वह संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड पर पुनः प्रवेश करे और उस पर बने भवनों और फिक्चरो का कब्जा ले और तब यह लीज और इसमें अन्तर्विष्ट प्रत्येक बात समाप्त और पर्यवसित हो जायेगी और पट्टेदार को किसी भी प्रतिकार के लिए या उस प्रीमियम के जिसका उसने संदाय किया है लौटाए जाने के लिए हकदार नही होगा।

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकुल बात के होते हुए भी पट्टाकर्त्ता अपने पुनः प्रवेश के उपयुक्त अंधकार पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना और पूर्ण स्वविवेकानुसार, ऐसी रकम प्राप्त होने पर और ऐसे निर्बधनो और शर्तो पर, जो उसके द्वारा निश्चित हो जाये, भाग अस्थायी रूप से अन्यथा अधित्यजन या आकर्षण कर सकता हैं और किराये का जो उपयुक्त रूप से बकाया होगा, 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित संदाय स्वीकार कर सकता हैं।

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, चित्तौड़गढ

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ

00DD 076632

कोई भी जब्ती या पुनः प्रवेश की अनुज्ञा नही दी जावेगी जब तक कि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर लिखित रूप से ऐसी सूचना कोई तामिल न कर दी हो जिसमें:—

(क) उस भंग का उल्लेख हो जिसके बारे में शिकायत की गई हो और

(ख) यदि भंग उपचार योग्य है। तो पट्टेदार से उस भंग का उपचार करने की उपेक्षा की हो, और पट्टेदार सूचना में यथावर्णित उचित समय के भीतर उस भंग का यदि वह उपचार के योग्य है, तो उपचार करने में असफल हुआ हो, और जब्ती या पुनः प्रवेश की दशा में पट्टाकर्ता स्वविवेकानुसार ऐसे निबंधनो और शर्तो पर जो वह उचित समझे उस जब्ती के विरुद्ध राहत दे सकेगा।

इस खण्ड की कोई बात जब्ती या पुनः प्रवेश पर निम्नलिखित के लिए लागू नही होगी:—

(क) उपविभाजन या सम्मेलन, उपबंधित समय के भीतर भवन के परिनिर्माण और पूर्ण करने और संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड के अन्तरण, जैसा कि खण्ड 11 में उल्लेख है, से सम्बन्धित प्रसंविदाओं और शर्तो के भंग के लिए या

(ख) उस दशा में, जब लीज किसी तथ्य को छुपाने अशुद्ध कथन, दुर्व्यवदेशन या कपट से प्राप्त की गई हो।

इसके द्वारा आरक्षित किराये में तारीख 06 सितम्बर 2007 से और उसके पश्चात 15 वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती कालावधि के अंत में बढाया जायेगा। परन्तु नियत किराये में वृद्धि प्रत्येक वृद्धि पर हर बार संदेय वार्षिक किराये के 25 प्रतिशत से अधिक नही होगा।

इस विलेख के अधीन या उनके सम्बन्ध में (सिवाय ऐसे मामलो के जिनके विनिश्चय का इन विलेखों द्वारा विनिर्दिष्ट उपलब्ध किया गया है) कोई प्रश्न, विवाद या मदभेद उत्पन्न होने की दशा में उसे राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकल माध्यमस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा। वह अपेक्षा नही होगा कि मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है और यह कि उसे उन मामलो पर विचार करना पड़ता है जिनसे लीज सम्बन्धित है या यह कि उसकी सरकारी कर्मचारी के रूप में ड्यूटी के दौरान वह विवादग्रस्त या मतभेद के समस्त या किन्ही मामलो पर विचार व्यक्ति कर चुका है मध्यस्थ का पंचाट अंतिम और पक्षकारो पर बाध्यकारी होगा।

मध्यस्थ, पक्षकारों की सहमति पर पंचाट करने और प्रकाशित करने की कालावधि, समय—समय पर बढ़ा सकता है। उपयुक्त के अध्ययधीन मध्यस्थ अधिनियम 1940 और उसके अधीन तत्समय प्रवृत नियम तथा उसके कोई उपान्तरण इस खण्ड के अन्तर्गत माध्यस्थम् कार्यवाहियों पर लागू समझे जायेगें।

इस लीज के अधीन दिये जाने वाले समस्त नोटिस, आदेश निर्देश समितियों या अनुमोदन लिखित रूप में होगें और उन पर ऐसे अधिकारी द्वारा राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत किया जाये हस्ताक्षर किये जाएगे और उन्हे पट्टेदार या संस्थानिक भूखण्ड पर किसी का दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर सम्यक रूप से तामील हुआ समझा जाएगा यदि वे संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** भूखण्ड पर बने किसी या पर निर्माण चाहे अस्थाई या अन्यथा पर चिपका दिया जाएगा या पट्टेदार अथवा ऐसे व्यक्ति के तत्काली निवास स्थान, कार्यालय या कारोबार के स्थान पर सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास स्थान, कार्यालय या कारोबार के स्थान पर परिदत्त कर दिया जाएगा या डाक द्वारा भेज दिया जाएगा।

(क) इस लीज के अधीन पट्टकर्ता द्वारा प्रयोग में किये जाने योग्य समस्त शक्तियों का राज्यपाल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, पट्टाकर्ता उसे लीज के अधीन प्रयोग किये जाने वाले समस्त या किन्ही शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता हैं।

अधिशाषी अधिकारी — नगरपालिका, चित्तौड़गढ

अध्यक्ष — नगरपालिका, चित्तौड़गढ

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

00DD 076633

(ख) राज्यपाल उपर उपखण्ड (क) के आधार पर उसके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले पट्टाकर्ता की शक्तियों के सिवाय, ऐसा समस्त या किन्ही शक्तियों का प्रयोग जिनका इस लीज के प्रयोग करने के वह सशक्त है का प्रयोग करने के लिये किसी अधिकारी या अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता हैं।

इस लीज में शब्द "राज्यपाल" से राजस्थान का राज्यपाल अभिप्रेत है। उक्त शब्दो मे ऐसा अधिकारी जो इस लीज के अधीन राज्यपाल के कृत्यो का सम्पादन के लिए पट्टाकर्ता द्वारा पदाभिहित किया जाए भी सम्मिलित होगा।

इससे पूर्व में प्रयुक्त शब्दो "पट्टाकर्ता" और पट्टेदार में जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार हो, पट्टाकर्ता के नाम ले में उनके उत्तराधिकारी और समुनदेशिती तथा पट्टेदार के मामलो में उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक या विविधक प्रतिनिधि या वह या वे व्यक्ति जिनमें इसके द्वारा सृजित लीज होल्ड हित तत्समय समनुदेश द्वारा अन्यथ निहित किया जायेगा, सम्मिलित होगें।

यह लीज गवनमेंट ग्रान्टस एक्ट 1895 (अधिनियम सं. 11 सन् 1895) के अधीन दी गई है।

शर्तें:–

1. अतिरिक्त भूमि राजस्थान सरकार स्वायत शासन विभाग के पत्र कमांक/भूमि/ एफ 7/(क) (8) डीएलबी/03/8834 दिनांक 06.09.2007 की अनुपालना में वर्तमान की आरक्षित आवासीय दर पर आवंटन किया जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती हैं।
2. जिस प्रयोजन के लिये भूमि आवंटित की गई है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग नही किया जा सकेगा तथा आवंटित भूमि को विकय या अन्यथा हस्तान्तरित नही किया जा सकेगा तथा आवंटित भूमि का आवंटन प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भवन के निर्माण से पूर्व एवं पश्चात किसी भी प्रतिबन्ध के दायित्वाधीन नही होगा।
3. राज्य सरकार या आवंटन प्राधिकारी को किसी विकास या सुधार के लिये आवंटित भूमि के किसी भाग की बाद में किसी चरण में यदि आवश्यकता हो तो उसे आवंटन अधिकारी द्वारा पूर्व में जिस दर आवंटन किया गया था उस दर पर वापस लिया जा सकेगा तथा उक्त भूमि के भाग पर किये गये निर्माण एवं विकास का मुआवजा आवंटन प्राधिकारी द्वारा पृथक से भुगतान किया जावेगा।
4. भूमि प्रारंभिक तौर पर दो वर्ष के भवन निर्माण की अनुज्ञा के साथ आवंटित की जाती है। इस अवधि में जिस प्रयोजन के लिये भूमि आवंटित है भवन का निर्माण पूर्ण कराना होगा। भवन का निर्माण अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवंटन की तिथि से एक वर्ष में प्रारंभ करना होगा।
5. अनुमोदित भवन मानचित्र के अनुसार आवंटन की तिथि से दो वर्ष मे पूर्ण कर उपभोग मे लेना होगा। इसके किसी शर्त के उल्लधंन पर आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं भूमि भवन के साथ वापस आवंटन प्राधिकारी को भार रहित वापस प्राप्त हो जायेगी इसके लिये कोई मुआवजा नही दिया जायेगा। आवंटन प्राधिकारी उचित समझता है तो भवन निर्माण की तथा पूर्ण होने एवं उपयोग में लाने की अनुज्ञा की समयावधि आगे दो वर्ष के लिये बढा सकेगा। आवंटन की दिनांक से दो वर्ष अवधि में यदि आवंटी आवंटन प्राधिकारी को भूमि वापस समर्पित करना चाहता है तो आवंटन प्राधिकारी भूमि का कब्जा प्राप्त कर आवंटन राशि वापस लौटा देगा।

कार्यालय उप पंजीयक चित्तौड़गढ़

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, चित्तौड़गढ

अध्यक्ष
नगरपालिका, चित्तौड़गढ

राजस्थान सरकार

पेज सं. 7

00DD 076634

6. प्रत्येक वर्ष के माह अप्रेल में आवंटन प्राधिकारी द्वारा जिन संस्थाओं को पूर्व मे भूमि आवंटित की गई है उनका सर्वे करवाया जावेगा। जहां भूमि रिक्त पाई जावे अथवा संस्था द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लधंन पाया जाने पर आवंटन की निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

7. किसी राष्ट्रीय कार्य या किसी आपातकाल में राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या जिला मजिस्ट्रेट भवन या परिसर को अस्थाई रूप से उपयोग में ले सकेगा इसके लिये किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नही दिया जावेगा।

8. संस्थाओ को रियायती दर पर आवंटित भूमि का उपयोग यदि पब्लिक एवं चेरीटेबल उद्देश्य के लिये नही होना पाया जाता है तो उक्त भूमि एवं उस निर्मित भवन सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगा तथा उनका कोई मुआवजा नही देय नही होगा।

9. यह भुखण्ड सिर्फ **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** महा विद्यालय के विस्तार हेतु ही उपयोग में लिया जा सकेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखित तारीख पट्टाकर्ता के लिये और उनकी और से तथा उसके आदेश और निर्देश से अध्यक्ष महोदय ने और पट्टेदार मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी चित्तौड़गढ़ द्वारा संचालित **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** ने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

स्टाम्प सं. 00DD076628, 00DD076629, 00DD076630, 00DD076631, 00DD076632, 00DD076633, 00DD076634, 00DD076635, 00DD076636, 00DD076637, 00DD076638, 00DD076639 कुल 12 स्टाम्प = 25,000/ रू. **के हिसाब से** = 3,00,000/- **अक्षरे तीन लाख रू.**

कार्यालय उप पंजीयक (प्रथम) चित्तौड़गढ़

अनुसुची जिसका उपर उल्लेख किया हैं

नगरपालिका चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा संकल्प – दिनांक 20.09.2007 द्वारा मंजूर गांधीनगर सेक्टर सं. 5 के पास के ले आउट नक्शे में $(\frac{150'+152'-6}{2} \times \frac{335'+333'6''}{2})$ = 50555 वर्गफीट भूमि है। उसकी सीमाये निम्न संलग्न साईड प्लान में लाल रंग में हैं जो A.B.C.D. में दर्शाई गई हैं।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

राजस्थान सरकार

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

पेज सं. 8

00DD 076635

पट्टेदार अध्यक्ष मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी संचालित मेवाड एज्यूकेशन सोसायटी चित्तौड़गढ़।

(भंवरलाल गदीया)
अध्यक्ष
मेवाड़ एज्यु...न सोसायटी
(चि... ...ज.)

कार्यालय उप पंजीयक (प्रथम) चित्तौड़गढ़

1. गवाह श्री सुरेन्द्र सिंह मंडलिया
पता 2-B, कुम्भानगर
चित्तौडगढ़
की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किये

2. गवाह श्री विष्णु शंकर पालीवाल
पता 2-B, कुम्भा नगर
चित्तौड़गढ़
की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किये

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

राज... सरकार

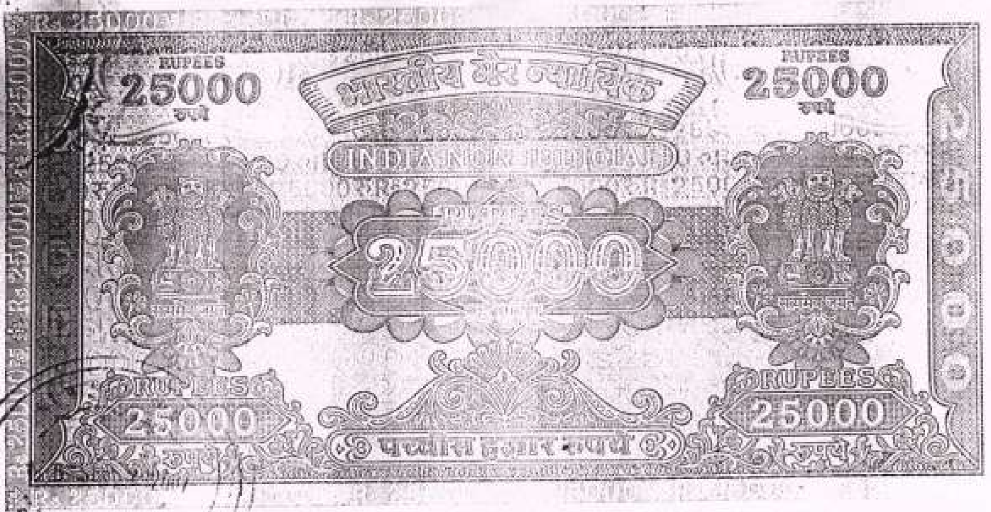

00DD 076636

<u>विकय मुल्य 60,66,600/रू.</u>

1. नोटः– यह स्टाम्प लीजडीड सं. **150/2007—08** के साथ संलग्न है।

2. मेवाड एज्यूकेशन सोसायटी द्वारा संचालीत **मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी** का भुखण्ड गांधीनगर सेक्टर सं. 5 के पास चित्तौड़गढ़ के विस्तार की अतिरिक्त भूमि की लीजडीड वास्ते तकमील हेतु पेश हैं।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

कार्यालय उप पंजीयक (प्रथम) चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

(भंवरलाल गदीया)
अध्यक्ष
मेवाड़ एज्यू... सोसायटी
चित्तौ... (राज.)

उपपंजीयक

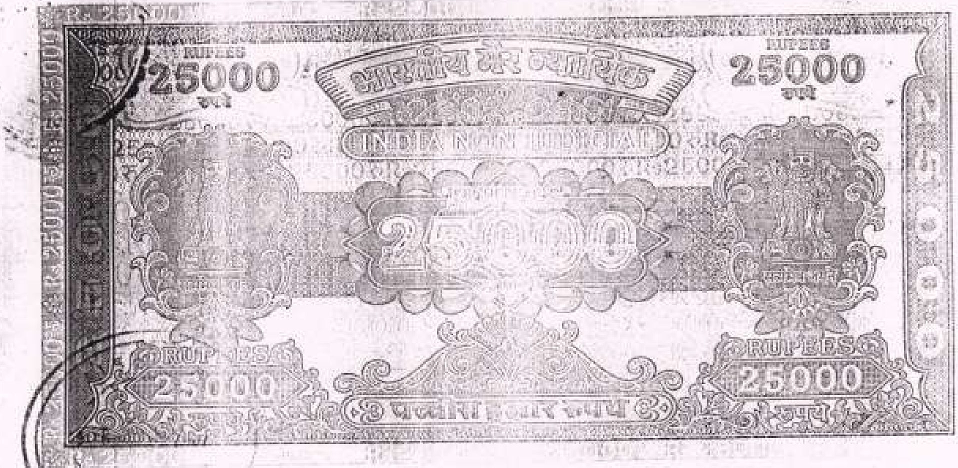

00DD 076637

नोटः– यह स्टाम्प लीजडीड सं. **150 / 2007–08** के साथ संलग्न है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

(भंवरलाल ...)
अध्यक्ष
मेवाड़ एज्युकेशन सोसायटी
चित्तौड़

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

राजस्थान सरकार

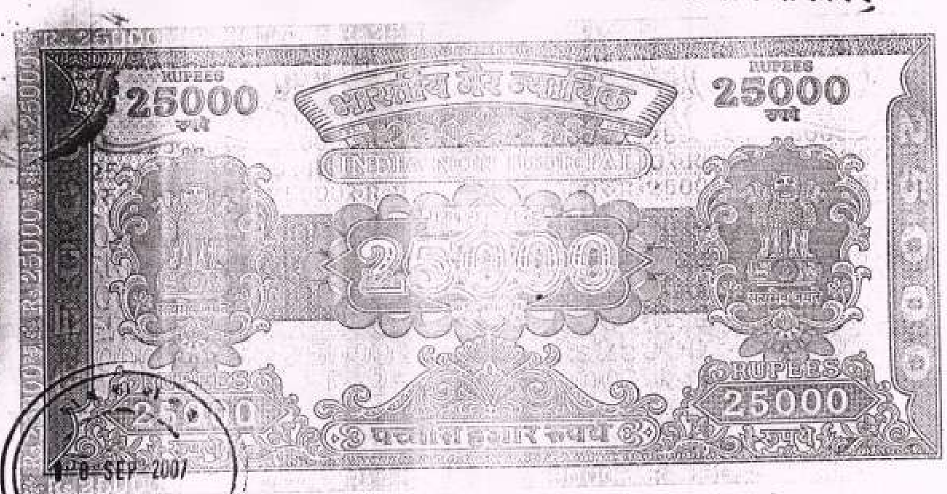

00DD 076638

नोटः– यह स्टाम्प लीजडीड सं. **150 / 2007–08** के साथ संलग्न है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

(भंवर लाल गदीया)
अध्यक्ष

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

राजस्थान सरकार

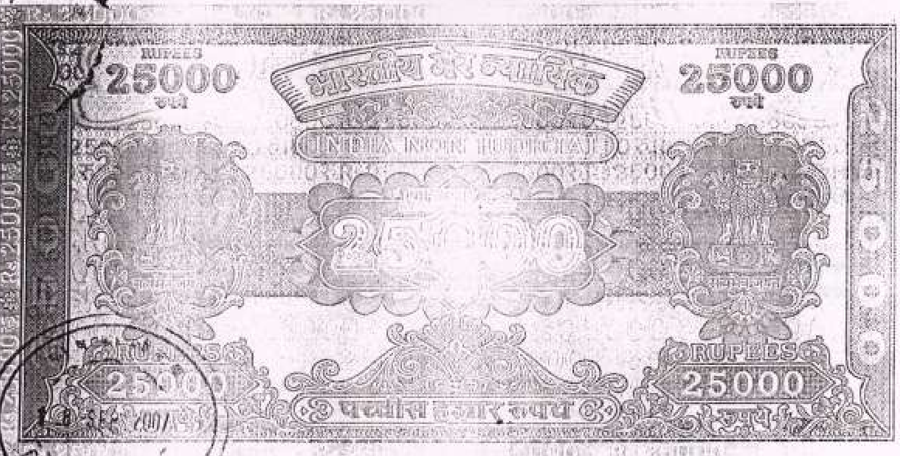

00DD 076639

नोटः– यह स्टाम्प लीजडीड सं. 150 / 2007–08 के साथ संलग्न है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका, चित्तौड़गढ़

(भंवरलाल गदीया)
अध्यक्ष
मेवाड़ एजु... सोसायटी
चित्तौ...

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

रजिस्टर नं. 40 दिनांक 18-9-07
[illegible]
[illegible]
आयु 84 वर्ष
निवास स्थान चित्तौड़गढ़
स्टाम्प विक्रेता
चित्तौड़गढ़
[illegible]

आज दिनांक 21/09/2007 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 23
में पृष्ठ संख्या 179 क्रम संख्या 2007004579 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 92
के पृष्ठ संख्या 192 से 207 पर
चस्पा किया गया।

(2007005842) उप पंजीयक, CHITTORGARH
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

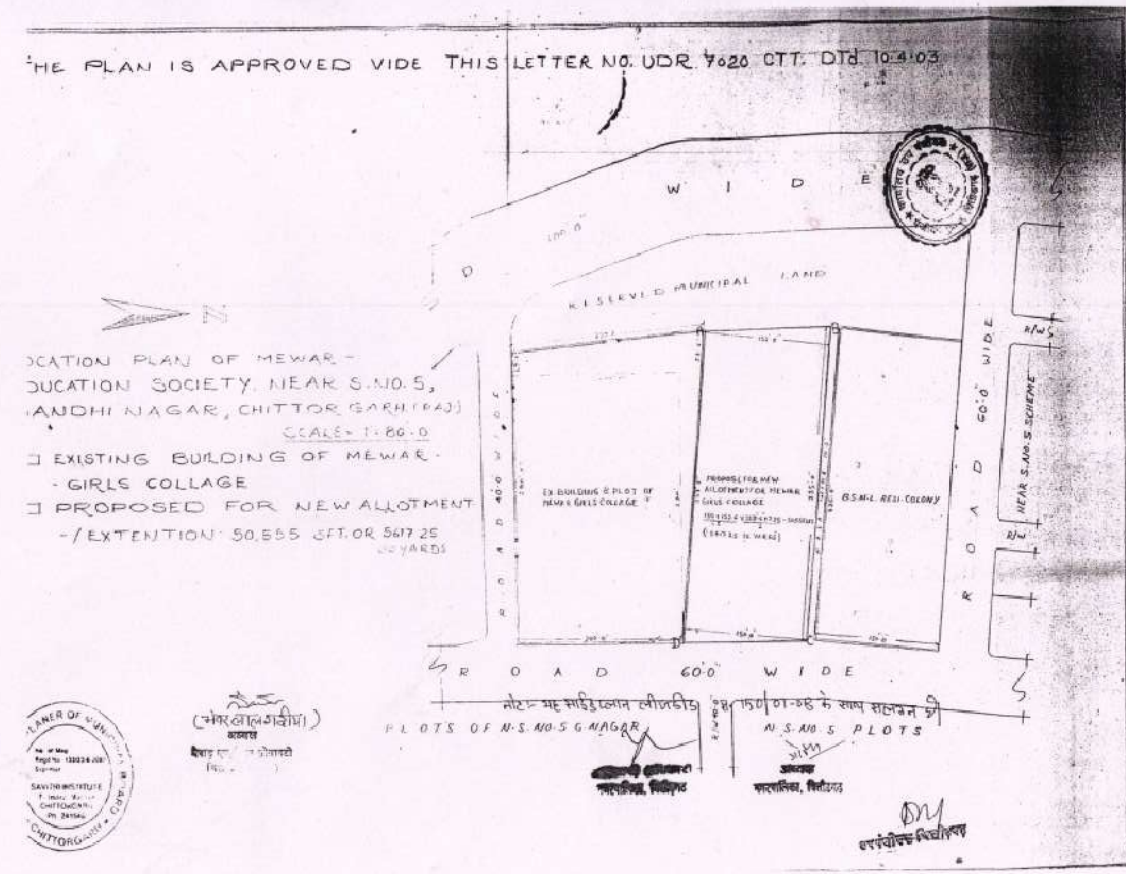

THE PLAN IS APPROVED VIDE THIS LETTER NO. UDR 7020 CTT. DTd 10.4.03
N
LOCATION PLAN OF MEWAR-
EDUCATION SOCIETY, NEAR S.NO. 5,
GANDHI NAGAR, CHITTORGARH (RAJ)
SCALE- 1:80.0
EXISTING BUILDING OF MEWAR-
GIRLS COLLAGE
PROPOSED FOR NEW ALLOTMENT
/EXTENTION 50.555 SFT. OR 5617.25 SQ. YARDS
RESERVED MUNICIPAL LAND
W I D E
ROAD 40'0" WIDE
EX BUILDING & PLOT OF MEWAR GIRLS COLLAGE
PROPOSED FOR NEW ALLOTMENT FOR MEWAR GIRLS COLLAGE
B.S.N.L. RESI. COLONY
ROAD 60'0" WIDE
NEAR S.NO. 5 SCHEME
R/W
PLOTS OF N.S. NO. 5 G NAGAR
N.S. NO. 5 PLOTS

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB-REGISTRAR, CHITORGARH
CHITORGARH
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2006002845 Dated : 22/06/2006
Presenter Name : GOVIND LAL Face Value : 0
Presenter Address : MEWAR GIRLS COLLEGE,GANDHINAGAR CHITTORGARH
Document Type : Lease Deed (more than equal to 20 Years)
Claimant Name : MEWAR EDU.SOC./MGIT CTG./SEC..GOVIND LAL, SHASTRINAGAR CHITTORGARH
Document S.No. : 2006003386 Stamp Value : 200

Ordinary Registration Fee	: 0	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 100	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 44-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 0
Translation Fee us/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 100

Amount Rs. One Hundred only

Cashier

Sub Registrar, CHITTORGARH

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

A 697944

प्रारूप 1
(नियम 3 देखिये)

पट्टा विलेख

यह पट्टा विलेख आज 19 जून 2006 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल, जिसे आगे " पट्टा–प्रदाता" कहेगें और जिस अभिव्यक्ति में जब तक विषय या संदर्भ में अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी, अनुज्ञा अभिहस्तांकिती सम्मिलित है, एक पक्ष और दूसरे पक्ष में मेवाड़ एज्यूकेशन सोयायटी द्वारा संचालित मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीयूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेन्ट, महाविद्यालय, सेक्टर नं. 5 गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ जिसे आगे " पट्टेदार" कहेगें और जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अभिहस्तांकिती सम्मिलित है, के मध्य किया गया है।

चूंकि पट्टाप्रदाता, नीचे बताई गई शर्तो पर, पट्टेदार को 99 वर्ष की अवधि के लिख उक्त भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिये सहमत हुआ है।

अब यह विलेख निम्नलिखित साक्ष्य करता है –

क्रमशः 2

सचिव
मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

A 697945

13 JUN 2006

1. यह कि उपरोक्त करार के अनुसरण में, पट्टादाता एतद्द्वारा कथित भूमि दिनांक 17 जून, 2006 से 99 वर्ष की अवधि के लिये पट्टेदार को पट्टे पर प्रदान करता हूँ।

2. यह कि इसके पक्षकार आपस में निम्नानुसार सहमत है –

   1. यह कि आवंटन निशुल्क होगा।
   2. यह कि पट्टेदारी की अवधि 99 वर्ष के लिये होगी। 99 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात, पट्टाप्रदाता स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये हो रहा है जिसके लिये आवंटित हुई थी और उसी प्रयोजन के लिये यदि आवश्यक हुआ तो अवधि का अगले 99 वर्षों की अवधि के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा।

3. यह कि भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जावेगा जिसके लिये उसका आवंटन हुआ है। आवंटित भूमि पर चारदीवारी के अलाव कोई पक्का, कच्चा निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

4. यह कि भूमि सरकार में निहित होगी।

सचिव
मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

स्टाम्प नं0 5024 दिनांक 17-6-2006

नाम मेवाड़ ऐज्यूकेशन सोसायटी (मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ... टैक्नोलोजी एण्ड मैनेजमेन्ट

हस्ताक्षर [illegible]

हस्ताक्षर

मुद्रांक विक्रेता

आज दिनांक 22 माह June सन् 2006 को 12:56 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री GOVIND LAL पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री BHANWAR LAL
उम्र 49 वर्ष, जाति GADIYA व्यवसाय BUSI.
निवासी MEWAR GIRLS COLLEGE,GANDHINAGAR CHITTORGARH
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHITTORGARH
(2006003386)
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

रसीद नं0 2006002845 दिनांक 22/06/2006
पंजीयन शुल्क रू0 0/–
प्रतिलिपि शुल्क रू0 100/–
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/–
अन्य शुल्क रू0 0/–
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 0/–
कुल योग रू0 100/–

(2006003386) उप पंजीयक, CHITTORGARH
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

A 697946

5. उक्त भूमि का उपयोग मेवाड़ एजूकेशन सोसायटी द्वारा संचालित मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीयूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेन्ट, महाविद्यालय, सेक्टर नं. 5 गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ में अध्ययनरत बालिकाओं के खेल मैदान के लिये होगा और दुराशय से उसका दुर्भावनापूर्ण हस्तान्तरण आवंटिती के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को नहीं होगा।

6. यह कि उपरोक्त शर्तो मे से किसी उल्लघंन होने की दशा में, भूमि उस पर बने हुए निर्माण कार्य सहित, बिना किसी क्षतिपूर्ति के दावे वापिस सरकार में निहित हो जायेगी।

7. इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने इस विलेख पर उपरोक्त वर्ष तथा दिनांक को हस्ताक्षर किये है।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सचिव
मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

स्टाम्प नं० 5025 दिनांक 17-6-2006
नाम मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी (मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एंड मैनेजमेंट
सत्यनारायण जी तहसील
वास्ते
हस्ताक्षर विक्रेता हस्ताक्षर
पवन मौड़
स्टाम्प वेन्डर, चित्तौड़गढ़
14/2004
सत्यनारायण

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
1-DISTT.COLLECTOR CHITTORGARH/DISTT.COLLECTOR CHITTORGARH Age:0, Caste- Ocu.- R/O-DISTT.COLLECTOR CHITTORGARH			
(And Claimant) 1-MEWAR EDU.SOC./MGIT CTG./SEC..GOVIND LAL/BHANWAR LAL Age:49, Caste-GADIYA Ocu.-BUSI. R/O-SHASTRINAGAR CHITTORGARH			

ने लेख्यपत्र Lease Deed (more than equal to 20 Years) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री / श्रीमती / सुश्री BASANTI LAL
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री MISHRI LAL उम्र 50 वर्ष
जाति MEHTA व्यवसाय ADV.
निवासी GANDHINAGAR CHITTORGARH

2. श्री / श्रीमती / सुश्री MOHAN LAL
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RAM KARAN उम्र 58 वर्ष
जाति KALANTRI व्यवसाय STAMP VENDOR
निवासी GANDHINAGAR CHITTORGARH ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2006003386)
(Lease Deed (more than equal to 20 Years)) उप पंजीयक, CHITTORGARH

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

A 697979

4

सचिव

हस्ताक्षरित पट्टेदार मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सरकार की ओर से हस्ताक्षरित

साक्षी :

1. Balwant
(विष्णु शंकर पालीवाल)

2.

साक्षी :

1.

2.

परिशिष्ट

संस्था का नाम	ग्राम/तहसील	आ. न.	आवंटित क्षेत्र	वि. वि.
मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी, द्वारा संचालित मेवाड़ गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी महाविद्यलाय, गांधीनगर चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	3305 मी. (चारागाह)	0.43 हेक्टर	जिला कलेक्टर कार्यालय चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/आवंटन /12–3 (96) 05/1070 दिनांक 17.6.2006

उपपंजीयक चित्तौड़गढ़

सचिव
मेवाड़ एज्यूकेशन सोसायटी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्टाम्प नं० 5022 दिनांक 17-6-2006
नाम मेवाड़ एज्युकेशन सोसायटी (मेवाड़ गर्ल्स इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी एंड मैनेजमेंट
[illegible]
सत्यनारायण जी [illegible] 215
[illegible] हस्ताक्षर

पवन मौड़
स्टाम्प वेन्डर चित्तौड़गढ़
ला न 1/2004

आज दिनांक 22/06/2006 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 261
में पृष्ठ संख्या 95 क्रम संख्या 2006002617 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 630
के पृष्ठ संख्या 271 से 277 पर
चस्पा किया गया।

(2006003386) उप पंजीयक, CHITTORGARH
(Lease Deed (more than equal to 20 Years))

नक्शा ट्रेस मौजा चित्तौड़गढ़ तह. चित्तौड़गढ़

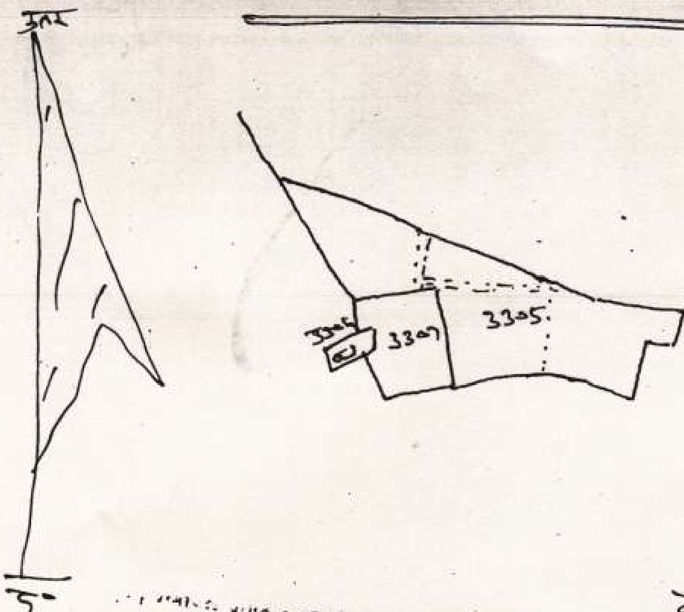

(1) ... आवेदन पत्र ... का दि. 13-3-06
(2) प्रतिलिपि तैयारी दिनांक 13-3-06
(3) प्रार्थी को प्रतिलिपि दिये जाने का दिनांक 13-3-06
(4) प्रतिलिपि शुल्क ... द्वारा प्राप्त किया गया
शब्दों में ...दो... अंकों में ...2...
(5) दिनांक सहित हस्ताक्षर ... 13-3-06

हस्ताक्षर - पटवारी

ट्रेस कर्ता

पटवारी हल्का चित्तौड़गढ़
13-3-06
पटवारी हल्का चित्तौड़गढ़
तहसील चित्तौड़गढ़ (राज.)